विषय-वस्तु

पैरा नं.		ब्योरे	पृष्ठ सं.
क		उद्देश्य	4
ख		वर्गीकरण	4
ग		पिछले अनुदेश	4
घ		प्रयोज्यता	4
1.		प्रस्तावना	5
2.		दिशानिर्देश	5
	2.1	सामान्य दिशानिर्देश	5
	2.2	गारंटी कारोबार के परिचालन के संबंध में दिशानिर्देश	5
	2.2.1	गैर-जमानती अग्रिमों और गारंटियों के लिए मानदंड	5
	2.2.2	गारंटियां जारी करने के लिए सावधानी	6
	2.2.3	धोखा-धड़ियों से बचने के लिए एहतियात	7
	2.2.4	घोष समिति की सिफारिशें	8
	2.2.5	आंतरिक नियंत्रण प्रणालियां	8
	2.2.6	बैंकों के निदेशकों की ओर से गारंटियां	8
	2.2.7	भारत सरकार की बैंक गारंटी योजना	9
	2.2.8	शेयर और स्टॉक दलालों/पण्य दलालों की ओर से गारंटियां	10
	2.2.9	ऋण लेनेवाले प्रतिष्ठानों के निदेशकों और अन्य प्रबंधकीय कार्मिकों की व्यक्तिगत गारंटियां प्राप्त करने के संबंध में दिशानिर्देश	11
	2.2.10	राज्य सरकार की गारंटियां	14
2.3		विदेशी मुद्रा प्रबंध (गारंटी) विनियमावली के अंतर्गत जारी विनियमों द्वारा नियंत्रित गारंटियाँ	14
	2.3.1	निर्यातों के लिए बोली बांड और कार्य निष्पादन बांड अथवा गारंटी	14
	2.3.2	बैंक गारंटी जारी करना	14
	2.3.3	अन्य शर्तें	16
	2.3.4	भारतीय निर्यातकों की ओर से विदेशी नियोक्ताओं/आयातकों के पक्ष में बिना शर्त गारंटी	16
	2.3.5	परियोजना निर्यातों के मामले में कुछ सावधानियां	17
	2.3.6	निर्यात अग्रिम के लिए गारंटियां	17
	2.3.7	बैंक प्रक्रियाओं की समीक्षा	19
	2.3.8	विदेशी मुद्रा प्रबंधन नियमावली द्वारा विनियमित अन्य गारंटियां	19

2.4		अंतर कंपनी जामराशियों /ऋणों की गारंटियों पर प्रतिबंध	25
	2.4.1	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के पास निधियां रखने के लिए गारंटियों पर प्रतिबंध	25
	2.4.2	अंतर संस्थागत गारंटियों पर प्रतिबंध	26
2.5		लागू की गयी गारंटियों की अदायगी	29
2.6		बिलों की सह-स्वीकृति	32
	2.6.1	सामान्य	32
	2.6.2	सुरक्षा के उपाय	32
2.7		साखपत्रों के मामले में बरती जाने वाली सावधानी	35
अनुबंध 1		बैंक गारंटी बांड का मॉडल फार्म	36
परिशिष्ट		समेकित परिपत्रों की सूची	38

मास्टर परिपत्र - गारंटियाँ और सह-स्वीकृतियाँ

क. <u>उद्देश्य</u>

यह मास्टर परिपत्र बैंकों द्वारा गारंटी कारोबार के परिचालन के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी नियमों / विनियमों /अनुदेशों का एक संग्रह प्रस्तुत करता है।

ख. <u>वर्गीकरण</u>

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रिज़र्व बैंक द्वारा जारी सांविधिक निदेश।

ग. <u>पिछले अनुदेश</u>

यह मास्टर परिपत्र 1 जुलाई 2013 के मास्टर परिपत्र में उपर्युक्त विषय पर जारी पिछले अनुदेशों को अद्यतन करता है।

घ. <u>प्रयोज्यता</u>

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक।

संरचना

1. **प्रस्तावना**

2. **दिशानिर्देश**

   2.1 सामान्य दिशानिर्देश
   2.2 गारंटी कारोबार के परिचालन के संबंध में दिशानिर्देश
   2.3 विदेशी मुद्रा प्रबंध (गारंटी) विनियमावली के अंतर्गत जारी विनियमों द्वारा नियंत्रित गारंटियाँ
   2.4 अंतर कंपनी जामराशियों /ऋणों की गारंटियों पर प्रतिबंध
   2.5 लागू की गयी गारंटियों की अदायगी
   2.6 बिलों की सह-स्वीकृति
   2.7 साखपत्रों के मामले में बरती जाने वाली सावधानी

3. **अनुबंध**

   अनुबंध 1 बैंक गारंटी बांड का मॉडल फार्म

4. परिशिष्ट समेकित परिपत्रों की सूची

1. प्रस्तावना

किसी बैंकिंग संस्था की सुदृढ़ता के संबंध में निर्णय करने के लिए एक महत्वपूर्ण कसौटी न केवल उसके आस्ति संविभाग बल्कि उसकी आकस्मिक देयता संबंधी प्रतिबद्धताओं जैसे गारंटियां, साखपत्र आदि का आकार और स्वरूप भी है। कारोबार के अंग के रूप में, बैंक विभिन्न प्रयोजनों के लिए अपने ग्राहकों की ओर से गारंटियां जारी करते हैं। बैंकों द्वारा निष्पादित गारंटियों में कार्यनिष्पादन गारंटियां और वित्तीय गारंटियां दोनों शामिल होती हैं। ये गारंटियां करार की शर्तों, जैसे सुरक्षा, परिपक्वता अवधि और प्रयोजन के अनुसार तैयार की जाती हैं। तुलनपत्र में शामिल और तुलनपत्र बाह्य एक्सपोज़र के लिए जोखिम भार लागू किये जाने से बैंक जोखिम के प्रति अधिक संवेदनशील हो गये हैं, जिसके परिणामस्वरूप वे अपने कारोबार के एक्सपोज़र की अधिक विवेकपूर्ण ढंग से संरचना कर सकते हैं। बैंकों को अपने गारंटी कारोबार के परिचालन में निम्नलिखित दिशानिर्देशों का अनुपालन करना चाहिए।

2. दिशानिर्देश

2.1 सामान्य दिशानिर्देश

2.1.1 जहां तक गारंटी के प्रयोजन का संबंध है, सामान्यतया बैंकों को अपने को वित्तीय गारंटियों के प्रावधान तक सीमित रखना चाहिए और कार्यनिष्पादन गारंटी कारोबार के संबंध में पर्याप्त सतर्कता बरतनी चाहिए।

2.1.2 जहां तक परिपक्वता अवधि का संबंध है, सामान्यतया बैंकों को छोटी परिपक्वता अवधियों को गारंटी देनी चाहिए और लंबी परिपक्वता अवधियों को अन्य संस्थाओं द्वारा गारंटी दिये जाने के लिए छोड़ देना चाहिए।

2.1.3 कोई भी बैंक गारंटी सामान्य तौर पर 10 वर्ष से अधिक की परिपक्वता की नहीं होनी चाहिए। तथापि, बैंकिंग उद्योग में बदले हुए परिदृश्य के मद्देनज़र जहां बैंक विभिन्न परियोजनाओं के लिए 10 वर्ष से लंबी अवधियों के लिए दीर्घावधि ऋण प्रदान करते हैं, यह निर्णय लिया गया है कि बैंकों को 10 वर्ष की अवधि से भी अधिक अवधियों के लिए गारंटियां जारी करने की अनुमति भी दी जाए। बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे ऐसी गारंटियां जारी करते समय अत्यधिक लंबे समय वाली गारंटियों का उनके आस्ति देयता प्रबंधन पर पड़ने वाले प्रभाव को भी ध्यान में ले। साथ ही, बैंक अपने निदेशक बोर्ड के अनुमोदन से 10 वर्ष से अधिक अवधि के लिए गारंटियां जारी करने के संबंध में उचित समझी गई नीति विकसित करें।

2.2 गारंटी कारोबार के परिचालन के संबंध में दिशानिर्देश

2.2.1 गैर-जमानती अग्रिमों और गारंटियों के लिए मानदंड

(i) 17 जून 2004 तक बैंकों को गैर-जमानती गारंटियों के रूप में किये गये अपने वायदों को इस प्रकार सीमित रखना आवश्यक था कि बैंक की बकाया गैर-जमानती गारंटियों का 20 प्रतिशत तथा उसके बकाया गैर-जमानती अग्रिमों का जोड़ उसके कुल बकाया अग्रिमों के 15 प्रतिशत से अधिक न हो। बैंकों को उनकी ऋण नीतियों के संबंध में अधिक लचीलापन प्रदान करने की दृष्टि से बैंकों के गैर-जमानती एक्सपोज़र की वर्तमान सीमा को निकाल दिया गया है। बैंकों के बोर्ड अपने गैर-जमानती ऋणों के संबंध में अपनी नीतियां निर्धारित कर सकते हैं। "गैर जमानती एक्सपोज़र" को ऐसे एक्सपोज़र के रूप में परिभाषित किया गया है जहां बैंक/अनुमोदित मूल्यांककों /भारतीय रिज़र्व बैंक के निरीक्षणकर्ता अधिकारियों द्वारा मूल्यांकित जमानत का वसूली योग्य मूल्य आरंभ से ही एक्सपोज़र के 10 प्रतिशत मूल्य से अधिक नहीं है। एक्सपोज़र में समस्त निधिक तथा गैर-निधिक एक्सपोज़र (जिनमें हामीदारी तथा उसी प्रकार की प्रतिबद्धताएं शामिल हैं) शामिल होंगे। `जमानत' का अर्थ होगा बैंक को उचित ढंग से प्रभारित मूर्त जमानत और उसमें गारंटियों, लेटर ऑफ कम्फर्ट आदि जैसी अमूर्त जमानत शामिल नहीं होंगी।

(ii) बैंक के प्रकाशित तुलन पत्र की अनुसूची 9 में प्रकट करने हेतु बेजमानती अग्रिमों की राशि निर्धारित करने के लिए बैंकों द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं (इनफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं सहित) के संबंध में बैंकों को संपार्श्विक के रूप में दिये गये अधिकारों, लाइसेंसों, प्राधिकारों आदि की गणना मूर्त प्रतिभूति के रूप में नहीं की जानी चाहिए। तथापि बैंक सड़क/राजमार्ग परियोजनाओं के संबंध में निर्माण-परिचालन-स्थानांतरण (बीओटी) मॉडल के अंतर्गत वार्षिकी को और जहां यातायात का एक सुनिश्चित स्तर हासिल न कर पाने की स्थिति में परियोजना प्रायोजक को क्षतिपूर्ति करने के प्रावधान हों उन मामलों में महसूल संग्रह अधिकारों को मूर्त प्रतिभूति मान सकते हैं बशर्ते वार्षिकी प्राप्त करने तथा महसूल संग्रह करने के संबंध में बैंकों के अधिकार विधिक रूप से लागू करने योग्य और अप्रतिसंहरणीय हों।

(iii) गैर-जमानती अग्रिमों की गणना के लिए दी गयी सभी छूट वापस ले ली गयी है ।

2.2.2 गारंटियां जारी करने के लिए सावधानी

बैंकों को अपने ग्राहकों की ओर से गारंटियां जारी करते समय निम्नलिखित सावधानी बरतनी चाहिए।

(i) नियमत:, बैंकों को बड़ी राशियों के लिए और मध्यावधि तथा दीर्घावधि के लिए गैर-जमानती गारंटियां देने से बचना चाहिए। उन्हें ग्राहकों के खास समूहों और / या व्यापार में ऐसी गैर-जमानती गारंटी प्रतिबद्धताओं के अनुचित संकेंद्रण से बचना चाहिए।

(ii) किसी एक ग्राहक को दी गयी गैर-जमानती गारंटियाँ बैंक की कुल गैर-जमानती गारंटियों के उचित अनुपात तक सीमित रहनी चाहिए। किसी व्यक्ति की ओर से दी जानेवाली गारंटियां भी उस ग्राहक की ईक्विटी के तर्कसंगत अनुपात में होनी चाहिए।

(iii) अपवादात्मक मामलों में, बैंक ऐसे प्रथम श्रेणी के ग्राहकों को सामान्य राशि के लिए गैर-जमानती आधार पर आस्थगित अदायगी गारंटियां दे सकते हैं जिन्होंने सरकार की नीति के अनुरूप आस्थगित अदायगी व्यवस्थाएं की हैं।

(iv) किसी एक ग्राहक या ग्राहकों के समूह की ओर से निष्पादित गारंटियां निर्दिष्ट एक्सपोज़र मानदंडों के अधीन होनी चाहिए।

(v) इसे ध्यान में रखना आवश्यक है कि गारंटियों में अंतर्निहित जोखिम होता है और आम तौर पर यह बैंक के हित में या जनता के हित में नहीं होता कि पार्टियों को अपने वायदों से आगे बढ़ने और गारंटी सुविधाओं की आसानी से उपलब्धता पर पूरी तरह निर्भर रह कर उद्यम प्रारंभ करने के लिए प्रोत्साहित किया जाये।

2.2.3 **<u>धोखाधड़ियों से बचने के लिए एहतियात</u>**

ग्राहकों की ओर से गारंटियां जारी करते समय बैंकों द्वारा निम्नलिखित सुरक्षा उपाय अपनाये जाने चाहिए :

(i) वित्तीय गारंटियां जारी करते समय, बैंकों को इस बात से आश्वस्त होना चाहिए कि यदि बैंक को गारंटी के अंतर्गत अदायगी करनी पड़े तो ग्राहक बैंक को उसकी प्रतिपूर्ति करने की स्थिति में होगा।

(ii) कार्यनिष्पादन गारंटी के मामले में, बैंकों को पूरी सतर्कता बरतनी चाहिए और ग्राहक के साथ अपने आपको इस बात से संतुष्ट करने का पर्याप्त अनुभव होना चाहिए कि संविदा के अंतर्गत दायित्वों को निभाने के लिए ग्राहक के पास आवश्यक अनुभव, क्षमता और साधन हैं तथा उसके द्वारा किसी प्रकार की चूक की संभावना नहीं है।

(iii) बैंकों को उन ग्राहकों के तरफ से गारंटियां जारी करने से बचना चाहिए जो उनसे ऋण सुविधाएं नहीं लेते। इस संदर्भ में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों का अनुपालन न करने से क्रेडिट अनुशासन बाधित होने की संभावना होने के कारण भारतीय रिज़र्व बैंक अनुपालन न करनेवाले बैंकों को दंडित करने पर विचार करेगा। तथापि अनुसूचित वाणिज्य बैंक सहकारी बैंक की प्रति-गारंटी पर सहकारी बैंकों के ग्राहकों को बैंक गारंटी/साख पत्र जारी कर सकते हैं। इस प्रकार के मामलों में बैंक "ऋण और अग्रिम-सांविधिक तथा अन्य प्रतिबंध" पर 1 जुलाई 2014 के मास्टर परिपत्र के पैराग्राफ 2.3.9.2 के प्रावधानों का पालन करें। इसके अतिरिक्त, बैंकों को इसका समाधान होना चाहिए कि संबंधित सहकारी बैंकों में ऋण समीक्षा तथा निगरानी प्रणालियों के साथ-साथ `अपने ग्राहक को जानिए' (केवाईसी) की सुदृढ़ व्यवस्था मौजूद है। सहकारी बैंकों के विशिष्ट ग्राहकों को बैंक गारंटी/साख-पत्र जारी करने से पहले बैंकों

को इस बात से संतुष्ट होना चाहिए कि इन मामलों में केवाईसी को ठीक से अमल में लाया गया है।

2.2.4 **<u>घोष समिति की सिफारिशें</u>**

बैंकों को अक्तूबर 1991 में गठित उच्चस्तरीय समिति (अध्यक्ष : श्री अमिताभ घोष, रिज़र्व बैंक के तत्कालीन उप गवर्नर) द्वारा की गयी निम्नलिखित सिफारिशों को कार्यान्वित करना चाहिए :

i. बेहिसाब गारंटियां जारी करने से रोकने तथा जाली गारंटियों को रोकने के उद्देश्य से भारतीय बैंक संघ द्वारा सुझाये गये अनुसार बैंक गारंटियां क्रमवार संख्या वाले प्रतिभूति फार्म में जारी की जायें।

ii. गारंटी अग्रेषित करते समय बैंकों द्वारा लाभार्थियों को सतर्क किया जाना चाहिए कि वे अपने हित में जारीकर्ता बैंक के साथ गारंटी की प्रामाणिकता की जाँच कर लें।

2.2.5 **<u>आंतरिक नियंत्रण प्रणालियां</u>**

50,000 रुपये और अधिक के लिए जारी की गयी बैंक गारंटियां दो पदाधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित होनी चाहिए। बैंकों द्वारा जहां आवश्यक समझा जाये वहां शाखाओं के आकार और श्रेणी के अनुसार निम्नतर सीमा निर्धारित की जाये। इस प्रकार की प्रणाली एकल हस्ताक्षरकर्ता के गलत प्रत्यक्ष ज्ञान /निर्णय या ईमानदारी /निष्ठा की कमी से होनेवाली कुप्रथाओं /हानियों की संभावना को कम करेगी। बैंकों को इन अनुदेशों की भावना को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त प्रणालियां और क्रियाविधियां बनानी चाहिए और केवल अपवादात्मक परिस्थितियों में ही दो हस्ताक्षरों के अनुशासन से हटने की अनुमति देनी चाहिए। ऐसे मामलों में अपने पदाधिकारियों द्वारा धोखाधड़ियों और कुप्रथाओं को रोकने के लिए प्रणालियों और क्रियाविधियों की पर्याप्तता और प्रभावशीलता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी बैंकों के सर्वोच्च प्रबंध तंत्र की होगी। यदि लिखतों पर केवल एक हस्ताक्षर करने की अपवादात्मक अनुमति दी जाती है, तो बैंकों में ऐसे लिखतों की शाखाओं के आंतरिक निरीक्षण के समय लेखा-परीक्षकों या निरीक्षकों द्वारा विशेष जांच की प्रणाली होनी चाहिए।

2.2.6 **<u>बैंकों के निदेशकों की ओर से गारंटियां</u>**

2.2.6 (i) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 20 में बैंकों के अपने किसी निदेशक या ऐसी किसी फर्म या कंपनी को ऋण या अग्रिम देने पर प्रतिबंध है, जिसमें उनका कोई निदेशक भागीदार या गारंटीदाता है।तथापि, कतिपय ऐसी सुविधाओं को जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ गारंटियां जारी करना शामिल है, उसी अधिनियम की धारा 20 के अर्थ के भीतर `ऋण और अग्रिम' के रूप में नहीं माना जाता है। इस संबंध में, अपने निदेशकों की ओर से गारंटियां देनेवाले बैंकों के विशेष संदर्भ में यह नोट करना प्रसंगानुकूल है कि अपनी देयता निभाने में मूल देनदार द्वारा चूक किये जाने और गारंटी के अधीन अपने दायित्व को पूरा करने के लिए बैंक को कहे जाने की स्थिति में बैंक और निदेशक का संबंध लेनदार और देनदार का बन सकता है। साथ ही, निदेशक बैंक द्वारा दी गयी गारंटी पर तीसरी पार्टी से

उधार लेकर धारा 20 के उपबंधों की अपवंचना भी कर सकेगा। यदि बैंक यह सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त कदम नहीं उठाते हैं कि अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत उन पर देयताएं न आयें तो इस तरह के लेनदेनों के कारण इस धारा का उद्देश्य ही विफल हो सकता है।

2.2.6 (ii) उपर्युक्त को देखते हुए, बैंकों को निदेशकों और ऐसी कंपनियों / फर्मों की ओर से जिनमें निदेशक का हित है, गैर-निधिक सुविधाएं जैसे गारंटियां आदि देते समय यह सुनिश्चित करना चाहिए कि -

i. बैंक की संतुष्टि के अनुसार इस बात की पर्याप्त और कारगर व्यवस्थाएं की गयी हैं कि जिसकी ओर से गारंटी जारी की गयी है उस पार्टी द्वारा अपने संसाधनों से वायदे पूरे किये जायेंगे, और

ii. बैंक को गारंटी लागू करने के परिणामस्वरूप देयता पूरी करने के लिए कोई ऋण या अग्रिम प्रदान करने के लिए नहीं कहा जायेगा।

यदि उपर्युक्त (ii) के अनुसार ऐसी आकस्मिकताएं आती हैं, तो बैंक को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 20 के उपबंधों के उल्लंघन का एक पार्टी माना जायेगा।

2.2.7 **<u>भारत सरकार की बैंक गारंटी योजना</u>**

2.2.7.1 संविदाकर्ताओं द्वारा जमानती जमाराशि आदि के बदले केन्द्रीय सरकारी विभागों के पक्ष में बैंक गारंटी जारी करने के लिए भारत सरकार द्वारा बनायी गयी बैंक गारंटी योजना में समय-समय पर संशोधन किया गया है। इस योजना के अधीन सरकारी विभागों को यह छूट है कि वे सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों से मुक्त रूप से गारंटियां आदि स्वीकार करें।

2.2.7.2 बैंकों को **अनुबंध I** में दिया गया बैंक गारंटी बांड का मॉडल फार्म अपनाना चाहिए। भारत सरकार ने सभी सरकारी विभागों / सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों, आदि को यह सूचित किया है कि वे मॉडल बांड में बैंक गारंटियां स्वीकार करें तथा यह सुनिश्चित करें कि जब भी उसके खंडों में परिवर्तन / परिवर्धन करना जरूरी समझा जाये तब वह इकतरफा न हो तथा वे गारंटी देनेवाले बैंक के साथ सहमति से किये जायें।बैंकों को गारंटी बांडों और विभिन्न राज्य सरकारों के साथ अपने पत्राचार में लाभान्वित होनेवाले विभाग के नाम तथा जिस प्रयोजन के लिए गारंटियां निष्पादित की जा रही हैं उसका उल्लेख करना चाहिए। संबंधित विभागों के साथ गारंटियों का तत्काल पता लगाने के लिए यह आवश्यक है। भारत के राष्ट्रपति के नाम सरकारी विभागों के पक्ष में बैंकों द्वारा दी गयी गारंटियों के संबंध में, उनके बारे में कोई भी पत्राचार संबंधित मंत्रालय / विभागों के साथ किया जाना चाहिए, न कि भारत के राष्ट्रपति के साथ। महा निदेशक, आपूर्ति और निपटान के पक्ष में जारी गारंटियों के संदर्भ में निम्नलिखित पहलुओं को ध्यान में रखना चाहिए :

i. बैंक गारंटी की प्रामाणिकता के सत्यापन की प्रक्रिया में तेजी लाने के उद्देश्य से बैंक गारंटियों पर हस्ताक्षर करनेवाले अधिकारियों के हस्ताक्षर / हस्ताक्षरों

के नीचे गारंटियों पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी / अधिकारियों का नाम, पदनाम और कोड नंबर दिया जाना चाहिए।

ii. बैंक गारंटी के लाभान्विती को भी यह सूचित किया जाना चाहिए कि वह अनिवार्य रूप से सुरक्षा के उपाय के रूप में संबंधित बैंक द्वारा जारी गारंटी की प्रामाणिकता के बारे में उससे पुष्टि प्राप्त करे।

iii. महा निदेशक, आपूर्ति और निपटान संविदा प्रशासन में जमानत के रूप में बैंकों द्वारा जारी बैंक गारंटी की प्रारंभिक अवधि मूल दाति (सुपुर्दगी) अवधि के बाद छः महीने की अवधि के लिए होगी। बैंक गारंटी की वैधता अवधि को स्वत: 6 महीने बढ़ाने का प्रावधान करने के लिए अपनी बैंक गारंटी में उपयुक्त खंड शामिल कर सकते हैं तथा गारंटी जारी करते समय ग्राहक से उपयुक्त वचन भी प्राप्त कर सकते हैं, ताकि बाद में किसी संभावित जटिलता से बचा जा सके।

iv. महा निदेशक, आपूर्ति और निपटान द्वारा महा निदेशक, आपूर्ति और निपटान (डीजीएस एंड डी) के टेंडर फार्म 229 (निविदाकर्ताओं को अनुदेश) में इस आशय का एक खंड शामिल किया जाये कि जब भी कोई फर्म, उस स्थिति में जहां बैंक गारंटी दी गयी है, संविदा की दाति अवधि के भीतर माल की आपूर्ति नहीं कर पाये, तो दाति अवधि को बढ़ाये जाने के अनुरोध को स्वत: ही बैंक गारंटी बढ़ाये जाने के लिए करार के रूप में ले लिया जायेगा। बैंकों को गारंटी अवधि स्वत: बढ़ाने के लिए बैंक गारंटियों में इसी प्रकार के प्रावधान करने चाहिए।

v. सीमा शुल्क विभाग द्वारा जारी की गई सार्वजनिक सूचना में अन्य बातों के साथ-साथ यह शर्त रखी गई है कि आयातक द्वारा प्रस्तुत की गई सभी बैंक गारंटियों में ही स्वनवीकरण खंड निहित होना चाहिए। चूंकि सीमा शुल्क विभाग द्वारा जारी की गई सार्वजनिक सूचना में निहित शर्त डीजीएस एण्ड डी के टेंडर फॉर्म में निहित सूचना के समान है इसलिए उपर्युक्त उप-पैराग्राफ (iv) के अनुसार डीजीएस एण्ड डी को जारी की गई बैंक गारंटियों में गारंटी की अवधि के स्वत: विस्तार का प्रावधान सीमा शुल्क गृहों के पक्ष में जारी की गई बैंक गारंटियों पर भी लागू किया जाए।

vi. महा निदेशक, आपूर्ति और निपटान संविदा प्रशासन में जमानत के रूप में बैंक गारंटी और उसकी अवधि बढ़ाने के पत्र गैर-न्यायिक स्टैम्प पेपर पर होंगे।

2.2.8 <u>शेयर और स्टॉक दलालों /पण्य दलालों की ओर से गारंटियां</u>

बैंक जमानती जमाराशियों के बदले स्टॉक एक्सचेंजों के पक्ष में शेयर और स्टॉक दलालों की ओर से उस सीमा तक गारंटियां जारी कर सकते हैं जिस सीमा तक वह स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा निर्धारित बैंक गारंटी के फार्म में स्वीकार्य हो। बैंक स्टॉक एक्सचेंजों के विनियमों के अनुसार मार्जिन आवश्यकताओं के बदले गारंटियां भी जारी कर सकते हैं। बैंकों को यह भी

सूचित किया गया है कि वे ऐसी गारंटियां जारी करते समय 50 प्रतिशत का न्यूनतम मार्जिन प्राप्त करें। बैंकों द्वारा जारी इस प्रकार की गारंटियों के संदर्भ में 25 प्रतिशत का न्यूनतम नकद मार्जिन (50 प्रतिशत के उपर्युक्त मार्जिन के भीतर) रखा जाना चाहिए। 50 प्रतिशत की उपर्युक्त न्यूनतम मार्जिन अपेक्षा तथा 25 प्रतिशत की न्यूनतम नकदी मार्जिन अपेक्षा (50 प्रतिशत मार्जिन के भीतर) राष्ट्रीय स्तर के पण्य एक्सचेंजों अर्थात् राष्ट्रीय पण्य और डेरिवेटिव एक्सचेंज (एनसीडीइएक्स), मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एमसीएक्स) और नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएमसीइआइएल) के पक्ष में पण्य दलालों की ओर से बैंकों द्वारा पण्य एक्सचेंज विनियामावली के अनुसार मार्जिन अपेक्षाओं के बदले जारी की गयी गारंटियों पर भी लागू होगी। बैंकों को प्रत्येक आवेदक की जरूरत का मूल्यांकन करना चाहिए तथा ऋण आदि जोखिम संबंधी उच्चतम सीमाओं सहित सामान्य और आवश्यक सुरक्षा उपाय अपनाने चाहिए।

2.2.9 <u>ऋण लेनेवाले प्रतिष्ठानों के निदेशकों और अन्य प्रबंधकीय कार्मिकों की व्यक्तिगत गारंटियां प्राप्त करने के संबंध में दिशानिर्देश</u>

2.2.9.1 <u>निदेशकों की व्यक्तिगत गारंटियां</u>

जब किसी मामले की सावधानीपूर्वक जांच के बाद अत्यंत जरूरी हो केवल तभी सरकारी अथवा निजी क्षेत्र की कंपनियों को दी गयी ऋण सुविधाओं आदि के लिए बैंक निदेशकों की व्यक्तिगत गारंटियां ले सकते हैं, साधारण तौर पर नहीं। ऐसी परिस्थितियों का पता लगाने के लिए जिनमें गारंटी आवश्यक समझी जा सकती है या आवश्यक नहीं समझी जा सकती है, बैंक मोटे तौर पर निम्नलिखित बातों को अपना सकते हैं :

क. <u>जहां गारंटियां आवश्यक नहीं समझी जातीं</u>

i. सामान्यत:, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के मामले में, जब ऋण देनेवाली संस्थाएं प्रबंधन, प्रतिष्ठान में उसके हिस्से, प्रस्ताव की आर्थिक व्यवहार्यता तथा वित्तीय स्थिति और नकदी निर्मित करने की क्षमता के बारे में संतुष्ट हों, तो व्यक्तिगत गारंटी पर जोर नहीं दिया जाना चाहिए। दरअसल, व्यापक रूप से स्वाधिकृत ऐसी पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के मामले में जिन्हें प्रथम श्रेणी का दर्जा दिया गया है और जो उपर्युक्त शर्तें पूरी करती हैं, गारंटियों की जरूरत नहीं होगी, भले ही अग्रिम गैर-जमानती हों। साथ ही, ऐसी कंपनियों के मामले में, चाहे वे निजी या सार्वजनिक हों, जो व्यावसायिक प्रबंधन के अधीन हैं, उन व्यक्तियों से गारंटियों के लिए जोर नहीं दिया जाना चाहिए, जो केवल अपनी व्यावसायिक /तकनीकी योग्यता की हैसियत से, न कि संबंधित कंपनी में किसी महत्वपूर्ण शेयर-धारिता के फलस्वरूप, प्रबंधन से जुड़े हैं ।

ii. जहां ऋण देनेवाली संस्थाएं ऋण प्रस्तावों के ऊपर उल्लिखित पहलुओं के बारे में पूरी तरह आश्वस्त नहीं हैं, वहां उन्हें ऐसी गारंटियों के बिना प्रस्तावों को स्वीकार्य बनाने के लिए शर्तों को निर्दिष्ट करने की मांग करनी चाहिए। कुछ मामलों में, वित्तीय अनुशासन के अधिक कठोर स्वरूप जरूरी होंगे, जैसे लाभांश वितरित करने, आगे विस्तार करने, कुल उधारों, आस्तियों पर आगे प्रभार निर्मित करने पर प्रतिबंध तथा न्यूनतम शुद्ध कार्यकारी पूंजी बनाये

रखने की शर्त। साथ ही, स्वाधिकृत निधियों और पूंजी निवेश के बीच समतुल्यता तथा समग्र ऋण-ईक्विटी अनुपात को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

ख. <u>जहां गारंटियां सहायक समझी जायेंगी</u>

i. उस स्थिति में, निजी या सार्वजनिक कंपनियों के संदर्भ में निदेशकों की व्यक्तिगत गारंटियां सहायक मानी जा सकती हैं, जहां शेयर पूरी तरह किसी व्यक्ति या संबंधित व्यक्तियों या समूह (जो व्यावसायिक या सरकारी न हों) द्वारा धारित हों, भले ही अन्य तत्व जैसे वित्तीय स्थिति, उपलब्ध जमानत कुछ भी हो। अपवाद केवल उन कंपनियों के संदर्भ में है जहां, न्यायालय या सांविधिक आदेश द्वारा, कंपनी का प्रबंधन किसी ऐसे एक व्यक्ति या व्यक्तियों में निहित हो, चाहे उसे निदेशक या अन्य कोई नाम दिया गया हो, जिसे शेयरधारकों द्वारा चुने जाने की जरूरत नहीं है। जहां व्यक्तिगत गारंटी को आवश्यक समझा जाये, वहां गारंटी अधिमान्यत: निदेशक के रूप में या किसी प्रबंधकीय क्षमता में कार्यरत निदेशक / प्रबंधकीय कार्मिक के बजाय ऋण लेनेवाली कंपनी में शेयर धारित करने वाले समूह के प्रमुख सदस्यों की होनी चाहिए।

ii. भले ही कोई कंपनी कुछ ही व्यक्तियों द्वारा पूरी तरह धारित न हो, फिर भी प्रबंधन की निरंतरता को सुनिश्चित करने के लिए निदेशकों की व्यक्तिगत गारंटी के लिए औचित्य हो सकता है। उदाहरण के लिए ऋण देनेवाली संस्था ऐसी कंपनी को ऋण दे सकती है जिसके प्रबंधन को अच्छा समझा जाता है। बाद में, कोई ऐसा दूसरा समूह कंपनी का नियंत्रण प्राप्त कर सकता है, जो ऋण देनेवाली संस्था को ऐसी स्थिति में पहुंचा दे जहां इस बात का सुस्पष्ट भय हो कि प्रबंधन का बदलाव उसे बुरी स्थिति में ले जायेगा और कंपनी की दी गयी निधियां जोखिम में पड़ जायेंगी। ऐसी परिस्थितियों में ऋण देनेवाली संस्थाएं जिस तरह से अपने को सुरक्षित कर सकती हैं उनमें एक तरीका यह है कि निदेशकों की गारंटी प्राप्त की जाये और इस प्रकार यह सुनिश्चित किया जाये की प्रबंधन की निरंतरता या प्रबंधन में होनेवाले परिवर्तन उनकी जानकारी से होते हैं। उन मामलों में भी जहां व्यक्तिगत गारंटियों से छूट दी गयी है, ऋण लेनेवाली कंपनी से इस बात का वचन लेना जरूरी होगा कि ऋण देनेवाली संस्था की सहमति के बिना प्रबंधन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसी प्रकार, कंपनी की निर्माणात्मक अवस्थाओं के दौरान, कंपनी तथा ऋण देनेवाली संस्था के हित में होगा कि गारंटियां प्राप्त की जायें, ताकि प्रबंधन की निरंतरता को सुनिश्चित किया जा सके।

iii. प्रथम श्रेणी का दर्जा प्राप्त कंपनियों के अलावा उन पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के संबंध में, जहां अग्रिम गैर-जमानती आधार पर है, निदेशकों की वैयक्तिक गारंटियां सहायक होंगी।

iv. ऐसी पब्लिक लिमिटेड कंपनियां हो सकती हैं जिनकी वित्तीय स्थिति और /या नकदी निर्मित करने की क्षमता संतोषजनक न हो, भले ही संबंधित अग्रिम जमानत प्राप्त हों। ऐसे मामलों में वैयक्तिक गारंटियां उपयोगी होती हैं।

v. उन मामलों में, जहां आस्तियों पर ऋण भार सृजित करने में काफी विलंब होने की संभावना है, वहां ऋण के संवितरण और आस्तियों पर ऋण भार सृजित करने के बीच की अंतरिम अवधि के लिए आवश्यकतानुसार गारंटी ली जाये।

vi. ऐसी सहायक कंपनियों के मामले में, जिनकी स्वयं की वित्तीय स्थिति संतोषजनक नहीं मानी जा रही है, मूल कंपनियों की गारंटी प्राप्त की जाये।

vii. व्यक्तिगत गारंटियां वहां उचित हैं जहां किसी कंपनी के तुलनपत्र या वित्तीय विवरण से यह पता चले कि निधियां कंपनी और समूह के स्वामित्व वाली या उसके प्रबंधन वाले अन्य प्रतिष्ठानों के बीच फंसी हुई हैं।

ग. <u>गारंटीकर्ताओं की माली हालत, गारंटी का भुगतान, कमीशन आदि</u>

i. जहां निदेशकों की व्यक्तिगत गारंटियाँ आवश्यक हों, वहां वे उस व्यक्ति की अनुमानित माली हालत के उचित अनुपात में होनी चाहिए। गारंटियां प्राप्त करने की प्रणाली को निदेशकों और अन्य प्रबंधकीय कार्मिकों द्वारा कंपनी की आय के स्रोत के रूप में प्रयोग में नहीं लाया जाना चाहिए। बैंकों को ऋण लेनेवाली कंपनी से तथा गारंटीकर्ताओं से यह वचन प्राप्त करना चाहिए कि कमीशन, दलाली-शुल्क या किसी अन्य रूप में कोई प्रतिफल उक्त कंपनी द्वारा अदा नहीं किया जायेगा या प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से गारंटीकर्ता द्वारा प्राप्त किया जायेगा। इस अपेक्षा को ऋण सीमाएं स्वीकृत करने संबंधी बैंक की शर्तों में शामिल करना चाहिए। आवधिक निरीक्षणों के दौरान, बैंक के निरीक्षकों को यह सत्यापित करना चाहिए कि इस शर्त का अनुपालन किया गया है। तथापि, ऐसे अपवादात्मक मामले हो सकते हैं जहां पारिश्रमिक के भुगतान की अनुमति दी जा सकती है, जैसे जहां सहायक प्रतिष्ठान ठीक तरह से काम नहीं कर रहे हैं और वर्तमान गारंटीकर्ता प्रबंधन के साथ सम्बद्ध नहीं हैं परंतु उनकी गारंटियों को जारी रखना इसलिए आवश्यक समझा जा रहा है क्योंकि या तो नये प्रबंधन की गारंटी उपलब्ध नहीं है या पर्याप्त नहीं पायी गयी है और गारंटी कमीशन के रूप में गारंटीकर्ताओं को पारिश्रमिक के भुगतान की अनुमति दी गयी है।

घ. <u>बीमार इकाइयों के मामले में व्यक्तिगत गारंटियां</u>

चूंकि प्रायोजकों /निदेशकों की व्यक्तिगत गारंटियों से सामान्यत: उन पर अधिक जवाबदेही और जिम्मेदारी आती है और प्रबंधन, सहायताप्राप्त यूनिटों को सुदृढ़ और स्वस्थ आधार पर चलाने के लिए प्रेरित होते हैं, अत: वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए बैंक अपने विवेकानुसार निदेशकों (नामित निदेशकों को छोड़कर) और अन्य प्रबंधकीय कार्मिकों से उनकी व्यक्तिगत क्षमता में गारंटियां प्राप्त कर सकते हैं। यदि किसी कारण से अग्रिम स्वीकृत करते समय बैंक द्वारा गारंटी समयोजित न समझी जाये, तो अलग-अलग निदेशक से वचन प्राप्त करना चाहिए और ऋण करार में अनिवार्य रूप से एक प्रसंविदा समाविष्ट करनी चाहिए कि यदि ऋण लेनेवाली इकाई नकदी हानि या प्रतिकूल चालू अनुपात या निधियों का अन्यत्र उपयोग दर्शाये, तो निदेशकों को, यदि बैंक द्वारा अपेक्षित हो तो, उनकी व्यक्तिगत क्षमता में गारंटियां निष्पादित करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। बैंक मूल / नियंत्रक कंपनी से भी अपने विवेकानुसार उस स्थिति में गारंटियां प्राप्त कर सकते हैं, जब उसी समूह की ऋण लेनेवाली इकाइयों को ऋण सुविधाएं दी जायें।

2.2.10 **राज्य सरकार की गारंटियां**

राज्य सरकार के उपक्रमों / परियोजनाओं के प्रस्ताव के संदर्भ में निदेशकों और अन्य प्रबंधकीय कार्मिकों की व्यक्तिगत गारंटियां लेने के लिए भी उपर्युक्त पैराग्राफ 2.2.9 में निर्दिष्ट दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जाना चाहिए और जब तक बिल्कुल जरूरी न हो तब तक गारंटी पर बल नहीं दिया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, बैंक गुणवत्ता के आधार पर और केवल प्रत्येक मामले की परिस्थितियों की पूरी जांच करने के पश्चात् ही बिलकुल आवश्यक परिस्थितियों में, राज्य सरकारों की गारंटियां प्राप्त कर सकते हैं, न कि नियमित रूप में।

2.3 विदेशी मुद्रा प्रबंधन (गारंटी) विनियमावली, 2000 के अंतर्गत जारी विनियमों द्वारा नियंत्रित गारंटियां

2.3.1 निर्यातों के लिए बोली बांड और कार्यनिष्पादन बांड अथवा गारंटी

(i) 3 मई 2000 की अधिसूचना सं. एफईएमए.8/2000-आरबी के अनुसार प्राधिकृत व्यापारी बैंकों को इस बात की अनुमति है कि वे भारत से वास्तविक निर्यातों के लिए विदेशी खरीदारों के पक्ष में कार्यनिष्पादन बांड या गारंटी दें।

(ii) सतर्कता सूची में शामिल किये गये निर्यातकों के संबंध में कार्यनिष्पादन बांड / गारंटी जारी करने के लिए प्राधिकृत व्यापारी बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक से पूर्वानुमोदन प्राप्त करना चाहिए। ऐसी कोई गारंटी जारी करने के पूर्व उन्हें इन बातों से स्वयं को संतुष्ट कर लेना चाहिए - आवेदक की वास्तविकता, संविदा पूरी करने की उसकी क्षमता और यह कि संविदा /निविदा के मूल्य के प्रतिशत के रूप में बोली /गारंटी का मूल्य उचित है एवं अंतरराष्ट्रीय व्यापार की सामान्य पद्धति के अनुसार है तथा संविदा की शर्तें विदेशी मुद्रा प्रबंधन विनियमों के अनुसार हैं।

(iii) जहाँ स्थानीय कानूनों /विनियमों के अनुसार विदेशी खरीदारों को सिर्फ स्थानीय बैंकों की गारंटियां स्वीकार्य हों उन मामलों में भारतीय निर्यातकों की ओर से अपनी विदेशी शाखाओं /प्रतिनिधियों द्वारा जारी की जाने वाली गारंटियों को कवर करने के लिए प्राधिकृत व्यापारी बैंक उक्त शर्तों पर उनके पक्ष में काउंटर-गारंटियां भी जारी कर सकते हैं।

(iv) जब कभी बांड /गारंटी लागू की जाये, प्राधिकृत व्यापारी बैंक उसके तहत देय राशि की अदायगी अनिवासी लाभार्थियों को कर सकते हैं।

2.3.2 बैंक गारंटी जारी करना

3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 8/2000-आरबी द्वारा अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंध (गारंटी) विनियमावली 2000 के विनियम 4 के अनुसार प्राधिकृत व्यापारी बैंकों को उक्त विनियम में उल्लिखित कतिपय मामलों में गारंटी देने की अनुमति दी गयी है।

(i) <u>विदेशी एयरलाइन /आइएटीए के पक्ष में बैंक गारंटी जारी करना</u>

विदेशी एयरलाइन कंपनियों के भारतीय एजेंट, जो अंतरराष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ (आइएटीए) के सदस्य हैं, को अपने टिकट विक्रय के कारोबार के संबंध में विदेशी एयरलाइन कंपनियों/आइएटीए के पक्ष में बैंक गारंटी प्रस्तुत करनी पड़ती है। चूँकि इस कारोबार में यह मानक अपेक्षा है, अत: प्राधिकृत व्यापारी बैंक अपने कारोबार के दौरान विदेशी एयर लाइन कंपनियों के उन भारतीय एजेंटों की ओर से जो अंतरराष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ (आइएटीए) के सदस्य हैं, उनके टिकट विक्रय कारोबार के सिलसिले में विदेशी एअयर लाइन कंपनियों /आइएटीए के पक्ष में गारंटी जारी कर सकते हैं।

(ii) <u>सेवा आयातकों की ओर से बैंक गारंटी जारी करना</u>

प्राधिकृत व्यापारी संवर्ग I के बैंकों को अब यह अनुमति दी गई है की 500000 अमरीकी डालर अथवा उसकी समतुल्य राशि से अनधिक राशि के लिए अनिवासी सेवा प्रदाता के पक्ष में सेवा आयात करने वाले अपने निवासी ग्राहकों की ओर से गारंटी जारी करें, बशर्ते :

(क) प्राधिकृत व्यापारी संवर्ग - I का बैंक सौदे की प्रमाणिकता के संबंध में संतुष्ट है;

(ख) प्राधिकृत व्यापारी संवर्ग - I का बैंक सेवाओं के आयात के प्रलेखी साक्ष्य की यथासमय प्रस्तुति सुनिश्चित करता हैं; और

(ग) गारंटी का उद्देश्य निवासी और अनिवासी के बीच होनेवाली संविदा से उत्पन्न प्रत्यक्ष संविदागत देयता को सुरक्षित करना है।

तथापि, सरकारी क्षेत्र की कंपनी अथवा भारत सरकार /राज्य सरकारों के विभाग / उपक्रम के मामले मेँ 100000 अमरीकी डालरों (एक लाख अमरीकी डालर) अथवा उसकी समतुल्य राशि से अधिक राशी के लिए गारंटी जारी करने हेतु वित्त मंत्रालय, भारत सरकार का अनुमोदन अपेक्षित होगा।

(iii) <u>बैंक गारंटी जारी करना - पण्य हेज करना</u>

भारत में प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I का बैंक भारत में निवास करनेवाले किसी व्यक्ति के ऐसे दायित्व के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित शर्तों के अधीन गारंटी अथवा आपाती साख पत्र दे सकता है, जो कि ऐसे व्यक्ति के अनुमोदित पण्य हेजिंग लेनदेन के संबंध में मार्जिन राशि की अदायगी के संबंध में भारत के बाहर निवासी व्यक्ति को देय हैं। बैंकों को सूचित किया जाता है कि प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I का बैंक जिन शर्तों तथा दिशानिर्देशों के आधार पर उपर्युक्त सुविधा के अंतर्गत आपाती साख पत्र/बैंक गारंटी जारी कर सकता है उनके लिए वे `जोखिम प्रबंधन तथा अंतर-बैंक व्यवहार' पर 1 जुलाई 2013 का मास्टर परिपत्र देखें।

(iv) गारंटी लागू करने के मामले में, प्राधिकृत व्यापारी बैंक को चाहिए कि वह गारंटी लागू करने की परिस्थितियों को स्पष्ट करते हुए एक विस्तृत रिपोर्ट प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक,

विदेशी मुद्रा विभाग, बाह्य भुगतान प्रभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई - 400 001 को भेजे।

2.3.3 <u>अन्य शर्तें</u>

(i) निर्यात बढ़ाने की दृष्टि से, निर्यात के प्रयोजनों के लिए बोली बांड और कार्यनिष्पादन गारंटियां जारी करते समय बैंकों को कवर प्राप्त करने, आस्तियां /ऋण सीमाएं निश्चित करने और आहरण-अधिकार के मामले में लचीला दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। तथापि, जहाँ आवश्यक समझा जाये बैंकों को निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (ईसीजीसी) से कार्यनिष्पादन गांरटी प्राप्त कर अपने हितों की रक्षा करनी चाहिए।

(ii) भारतीय निर्यात ऋण और गारंटी निगम बोली बांड के लिए 90 प्रतिशत कवर प्रदान करेगा, बशर्ते बैंक नकदी मार्जिनों पर आग्रह न करने के लिए वचन दें।

(iii) अत: बैंक ई सी जी सी द्वारा काउंटर-गारंटी प्राप्त बोली बांडों और गारंटियों के संबंध में किसी नकदी मार्जिन की मांग नहीं करेंगे।

(iv) अन्य मामलों में, जहाँ ई सी जी सी की काउंटर-गारंटी किसी भी कारण से उपलब्ध न हो, बैंक उचित नकदी मार्जिन का निर्धारण सिर्फ उन मामलों में करें जहाँ वह अत्यंत आवश्यक हो, क्योंकि वे सामान्यत: ऐसी बोली बांड /गारंटियां जारी करते समय निर्यातक की क्षमता और वित्तीय स्थिति के बारे में स्वयं को संतुष्ट कर लेते हैं।

(v) बैंक बोली बांड जारी करने के लिए अलग सीमाएं स्वीकृत करने पर विचार कर सकते हैं। इस प्रकार स्वीकृत सीमाओं के भीतर, अलग-अलग संविदाओं के प्रति बोली बांड सामान्य प्रतिफलों की शर्त पर जारी किये जायें।

2.3.4 <u>भारतीय निर्यातकों की ओर से विदेशी नियोक्ताओं / आयातकों के पक्ष में बिना शर्त गारंटी</u>

(i) भारतीय निर्यातकों की ओर से विदेशी नियोक्ताओं / आयातकों के पक्ष में बिना शर्त गारंटी देने के लिए सहमति देते हुए बैंकों को निर्यातक से इस आशय का वचन प्राप्त करना चाहिए कि जब कभी गारंटी लागू की जाये बैंक निर्यातक और आयातक के बीच किसी विवाद के होते हुए भी अदायगी करने का हकदार होगा। यद्यपि, ऐसे वचन के कारण निर्यातक को निषेधाज्ञा के लिए न्यायालय के पास जाने से रोका नहीं जा सकता तथापि इसके आधार पर न्यायालय यह राय बना सकता है कि क्या निषेधाज्ञा जारी की जानी चाहिए।

(ii) बैंक भविष्य में गारंटियां जारी करते समय उक्त बातें ध्यान में रखें और अपने विधि परामर्शदाताओं के परामर्श से करार में उपयुक्त खण्ड समाविष्ट करें। यह वांछनीय है, क्योंकि गारंटी लागू किये जाने पर उसे नकारने से विदेशी बैंक भारतीय बैंकों की गारंटियां स्वीकार करना बंद कर सकते हैं, जिससे देश के निर्यात संवर्धन संबंधी प्रयासों में रुकावट आयेगी।

2.3.5 परियोजना निर्यातों के मामले में कुछ सावधानियां

(i) बैंक यह जानते हैं कि अधिक मूल्य के विदेशी परियोजना निर्यातों के लिए बोली के बाद की अवस्थाओं में सिद्धांत रूप में पैकेज अनुमोदन देने के प्रयोजन के लिए कार्यकारी दल की प्रक्रिया विकसित की गयी है। कार्यकारी दल की भूमिका मुख्यत: विनियामक स्वरूप की है, परंतु परियोजना के मूल्यांकन और परियोजना पर निगरानी रखने का उत्तरदायित्व अकेले प्रायोजक बैंक पर है।

(ii) चूंकि कार्यकारी दल के अनुमोदन प्रायोजक बैंकों की सिफारिशों पर आधारित हैं अत: प्रायोजक बैंकों को संविदाकर्ता / उप संविदाकर्ताओं की क्षमता, संविदाओं के संरक्षी खण्डों, प्रतिभूति की पर्याप्तता, यदि कोई विदेशी उप संविदाकर्ता हो तो उनकी की क्रेडिट रेटिंग, आदि के संबंध में परियोजना प्रस्तावों की पूरी जांच करनी चाहिए।

(iii) अत: देशी परियोजना के वित्तपोषण के मामले में प्रस्तावों में शामिल वित्तीय और तकनीकी मांगों की तुलना में संविदाकर्ताओं (उप संविदाकर्ताओं सहित) तथा विदेशी नियोक्ताओं की क्षमता का सावधानी से आकलन करने की आवश्यकता को शायद ही कम कर आंका जा सके। वस्तुत:, निर्यात परियोजनाओं के उच्च मूल्य तथा चूक के मामले में विदेशी मुद्रा हानि की संभावनाओं तथा साथ ही भारतीय उद्यमियों की छवि की क्षति को देखते हुए उन पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए।

(iv) जहां बोली बांड और कार्यनिष्पादन गारंटियों को टाला नहीं जा सकता, वहीं इस मामले पर विचार किया जाना है कि क्या विदेशी परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए विदेशी उधार राशियों के सभी मामलों में बैंकों द्वारा गारंटियां दी जानी चाहिए। ऐसी गारंटियां सिर्फ निर्यात-आयात बैंक की सहभागिता तथा ई सी जी सी काउंटर-गारंटी की उपलब्धता के कारण सामान्य रूप से निष्पादित नहीं की जानी चाहिए। गारंटी प्रदान करने के बाद अनुवर्ती कार्रवाई के लिए तथा संविदाओं पर निगरानी रखने के लिए उपयुक्त व्यवस्थाएं भी की जानी चाहिए।

2.3.6 निर्यात अग्रिम के लिए गारंटियां

(i) भारतीय रिज़र्व बैंक के ध्यान में आया है कि न्यून निर्यात आवर्त (टर्नओवर) वाले निर्यातक देशी बैंक गारंटियों के बदले, न्यून ब्याज दर वाली मुद्राओं में बड़ी राशि के निर्यात अग्रिम प्राप्त कर रहे हैं तथा ब्याज दर अंतर का लाभ उठाने के लिए वे ऐसे अग्रिमों को भारतीय रुपयों में बैंकों में जमा करते हैं। इसके अलावा, अग्रिम प्राप्त होने से पहले ही इस शर्त के साथ गारंटियां जारी की जा रही हैं कि अग्रिम प्राप्त हो जाने के बाद ही गारंटियां प्रभावी होंगी। निर्यात अग्रिमों के बट्टागत मूल्यों के बदले सममूल्य पर गारंटियां जारी की जा रही हैं। फेमा विनियमों का उल्लंघन करते हुए बिना किसी निर्यात परिणति के तथा/या पूर्व कार्य-निष्पादन देखे बगैर निर्यातकों को खुले तौर पर वायदा संविदा बुक करने, निरस्त करने तथा पुन: बुक (रिबुक) करने की अनुमति दी जा रही है। यह भी पाया गया है कि निर्यातक अपने मुद्रा एक्सपोज़र के भारतीय रुपया-अमेरिकी डॉलर लेग के बड़े हिस्से को खुला रखते हैं जिससे निर्यातकों और देशी बैंकों, दोनों को ही विदेशी मुद्रा जोखिम रहता है। ऐसे मामलों में,

सामान्यत: न तो निर्यात हुआ होता है और न ही निर्यातकों की कोई अच्छी पृष्ठभूमि है या बड़े पैमाने के निर्यात आदेश निष्पादित करने की उनकी क्षमता है। ये लेनदेन मूलत: ब्याज दर अंतर और मुद्रा मूल्यों की घट-बढ़ से लाभ उठाने के लिए तैयार किये गये हैं, तथा पूंजी प्रवाह पर इसका प्रभाव पड़ सकता है।

(ii) निर्यातक द्वारा भारत से निर्यात करने के लिए लिये गये ऋण या अन्य देयताओं के संबंध में गारंटियों की अनुमति दी गई है। अत: इसका उद्देश्य निर्यातक द्वार निर्यात अनुबंधों को निष्पादित करने में सहायता देना था और इसका कोई अन्य उद्देश्य नहीं था। विद्यमान अनुदेशों के अनुसार बैंकों को यह भी सूचित किया गया है कि गारंटियों में अंतर्निहित जोखिम होता है तथा यह बैंक के हित में या लोक हित में नहीं होगा कि साधारण तौर पर केवल गारंटी सुविधाओं की आसान उपलब्धता के बल पर पार्टियों को अपनी प्रतिबद्धता अनावश्यक रूप से बढ़ाने के लिए तथा नए उद्यम प्रारंभ करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। अत: इस बात को दोहराया जाता है कि चूंकि गारंटियों में अंतर्निहित जोखिम होते हैं, पैरा 3.6 (i) में उल्लिखित लेनदेन यदि बैंकों द्वारा किए जाते हैं तो यह बैंक और वित्तीय प्रणाली के हित में नहीं होगा। अतएव बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे निर्यात अग्रिमों के बदले गारंटियां प्रदान करते समय सावधानी बरतें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि फेमा विनियमों का उल्लंघन नहीं होता है तथा बैंक विभिन्न जोखिमों में नहीं पड़ते है। बैंकों के लिए यह आवश्यक है कि उन्हें ऐसे निर्यातकों के संबंध में आवश्यक छानबीन करनी चाहिए तथा इस प्रकार के निर्यात आदेशों को निष्पादित करने की उनकी क्षमता की जाँच करने के लिए उनके ट्रैक रिकार्ड की जाँच करनी चाहिए।

(iii) 3 मई 2000 की अधिसूचना फेमा 8/2000 आरबी के पैरा 4(1) में निहित अनुदेशों के अनुसार प्राधिकृत व्यापारी बैंकों को भारत से निर्यात के फलस्वरूप निर्यातक के कर्ज, दायित्व या अन्य देयताओं के लिए गारंटी देने के लिए अनुमति प्रदान की गयी है। इसका उद्देश्य निर्यातक को निर्यात करार के निष्पादन में सुविधा हो यह है न कि अन्य कोई प्रयोजन। तथापि हमारे यह ध्यान में आया है कि कुछ निर्यातक उधारकर्ता भारतीय बैंकों से जारी गारंटियों के आधार पर प्राप्त निर्यात अग्रिम का भारतीय बैंकों से लिए गए ऋण की चुकौती के लिए उपयोग कर रहे हैं। फेमा के अंतर्गत जिन मामलों को अनुमति मिलि है ऐसे मामलों को छोडकर, यह हमारे अनुदेशों का स्पष्ट उल्लंघन है तथा बैंकों को सूचित किया जाता है कि इस प्रकार की प्रथा से बचे।

(iv) बैंकों को यह भी सुनिश्चत करना चाहिए कि निर्यातकों द्वारा प्राप्त किए गए निर्यात अग्रिमों में विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के अंतर्गत जारी विनियमों /निदेशों का अनुपालन हुआ है।

2.3.7 <u>बैंक प्रक्रियाओं की समीक्षा</u>

बैंक शक्तियों के प्रत्यायोजन और उनकी प्रक्रियाओं की स्थिति की समीक्षा करें तथा निर्यात प्रस्तावों पर त्वरित निर्णय लेने की दृष्टि से यथावश्यक कार्रवाई करें। वे प्रत्येक महत्वपूर्ण केंद्र में पर्याप्त रूप से योग्य और प्रशिक्षित स्टाफ से युक्त विशिष्ट शाखा बनाने पर भी

विचार कर सकते हैं, ताकि निर्यात ऋण संबंधी सभी प्रस्तावों का निपटान त्वरित रूप से उसी केंद्र में हो सके।

2.3.8 <u>विदेशी मुद्रा प्रबंधन नियमावली द्वारा विनियमित अन्य गारंटियां</u>

विदेशी मुद्रा प्रबंधन विनियमावली द्वारा निम्न प्रकार की गारंटियों के निर्गम का प्रबंधन होता है :

i. छोटी गारंटियां
ii. बैंक गारंटियां - विदेशी ऋणों / उधारों (क्रेडिट) के अंतर्गत आयात
iii. अनिवासियों के लिए गारंटियां

परिचालनात्मक अनुदेशों के लिए उक्त 3 मई 2000 के एफईएमए. 8/2000 के अंतर्गत जारी अधिसूचना तथा विदेशी मुद्रा विभाग द्वारा अपने मास्टर परिपत्रों में जारी किये गये दिशानर्देश देखें। तथापि, सुलभ संदर्भ के लिए, इन गारंटियों के निर्गम के संदर्भ में अनुदेश /दिशा-निर्देश नीचे दिये जा रहे हैं :

2.3.8.1 <u>छोटी गारंटियां</u>

प्राधिकृत व्यापारी बैंक अपने ग्राहकों और विदेशी शाखाओं और प्रतिनिधियों की ओर से खो गये या त्रुटिपूर्ण दस्तावेजों, हस्ताक्षरों की अधिप्रमाणिकता और उसी प्रकार के अन्य प्रयोजनों के संबंध में सामान्य कारोबार के दौरान गारंटियां मुक्त रूप से दे सकते हैं।

2.3.8.2 <u>बैंक गारंटियां - विदेशी ऋणों / क्रेडिट के अंतर्गत आयात</u>

बैंकों /वित्तीय संस्थाओं को बाह्य वाणिज्यिक उधारों (ईसीबी) के संबंध में विदेशी ऋणदाताओं के पक्ष में गारंटियां /आपाती साख-पत्र अथवा लेटर्स ऑफ कम्फर्ट जारी करने की अनुमति नहीं है। लघु और मझोले उद्यमों के मामले में ईसीबी से संबंधित गारंटियां /आपाती साख-पत्र अथवा लेटर्स ऑफ कम्फर्ट प्रदान करने के लिए बैंकों से प्राप्त आवेदनों पर गुणवत्ता के आधार पर विवेकपूर्ण मानदंडों के अधीन अनुमोदन रूट के अंतर्गत रिज़र्व बैंक विचार करेगा। वस्त्रोद्योग की कंपनियों द्वारा मल्टी फाइबर एग्रीमेंट को क्रमबध्द रूप से समाप्त कर देने के बाद, वस्त्रोद्योग यूनिटों के आधुनिकीकरण अथवा विस्तार हेतु ईसीबी से संबंधित गारंटियां आपाती साख -पत्र, वचन पत्र अथवा लेटर्स ऑफ कंफर्ट जारी करने के लिए बैंकों से प्राप्त आवेदनों पर, विवेकपूर्ण मानदंडों के अधीन, अनुमोदन रूट के अंतर्गत रिज़र्व बैंक विचार करेगा।

2.3.8.3 <u>भारत में आयातों के लिए व्यापारिक उधार -</u>

<u>गारंटियां जारी करना - शक्तियों का प्रत्यायोजन</u>

i. विदेश स्थित आपूर्तिकर्ता, बैंक और वित्तीय संस्था द्वारा तीन वर्ष से कम की मूल समाप्ति अवधि के लिए सीधे आयातों के लिए दिये गये उधार का इसके बाद आयातों के

लिए `व्यापारिक उधार' के रूप में उल्लेख किया गया है। वित्त के स्रोत के आधार पर इस प्रकार के व्यापारिक उधार में आपूर्तिकर्ताओं के उधार या खरीददारों के उधार शामिल होंगे। यह नोट किया जाए कि तीन वर्ष और उससे अधिक के खरीददारों के उधार और आपूर्तिकर्ताओं के उधार बाह्य वाणिज्यिक उधारों (ईसीबी) की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं जो समय-समय पर संशोधित 31 जनवरी 2004 के (ए.पी. डीआइआर सीरीज़) परिपत्र सं. 60 द्वारा जारी ईसीबी दिशा-निर्देशों द्वारा नियंत्रित है।

ii. प्राधिकृत व्यापारी बैंक पोतलदान की तारीख से एक वर्ष तक की समाप्ति अवधि वाली डीजीएफटी की वर्तमान निर्यात-आयात नीति के अंतर्गत अनुमत आयातों के लिए 20 मिलियन अमेरिकी डालर प्रति आयात लेनदेन तक भारत में आयातों के लिए व्यापारिक उधार का अनुमोदन कर सकते हैं। डीजीएफटी द्वारा वर्गीकृत पूंजीगत वस्तुओं के आयात के लिए, प्राधिकृत व्यापारी बैंक एक वर्ष से अधिक और तीन वर्ष से कम की समाप्ति अवधि वाले 20 मिलियन अमेरिकी डालर प्रति आयात लेनदेन तक व्यापारिक उधार का अनुमोदन कर सकते हैं। प्राधिकृत व्यापारी बैंक द्वारा अनुमत अवधि से अधिक अवधि बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

iii. प्राधिकृत व्यापारी बैंकों को यह सामान्य अनुमति दी गयी है कि वे विदेश स्थित आपूर्तिकर्ता, बैंक और वित्तीय संस्था के पक्ष में विदेश व्यापार नीति (स्वर्ण को छोड़कर) के अधीन अनुमत सभी गैर पूंजीगत वस्तुओं के आयात के लिए एक वर्ष तक की अवधि हेतु तथा पूंजीगत वस्तुओं के आयात हेतु 3 वर्ष तक के लिए प्रति आयात 20 मिलियन अमेरिकी डालर तक गारंटियां/वचन पत्र/चुकौती आश्वासन पत्र (लेटर ऑफ कंफर्ट) जारी करें , परंतु ये समय-समय पर रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विवेकपूर्ण दिशा-निर्देशों के अधीन होंगे। इस प्रकार की गारंटियों/वचन पत्रों/चुकौती आश्वासन पत्रों की अवधि पोतलदान की तारीख से गिने गये ऋण की अवधि के साथ समाप्त होनी चाहिए।

iv. जहां तक सूचना देने की व्यवस्था का संबंध है, 30 सितंबर 2013 को समाप्त होनेवाली तिमाही से प्राधिकृत व्यापारी बैंकों से यह अपेक्षित है कि वे अपनी सभी शाखाओं द्वारा गारंटियां/वचन पत्र/चुकौती आश्वासन पत्र जारी करने के संबंध में आंकड़े एक्सटेंन्सिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लेंग्वेज (एक्सबीआरएल) प्लेटफॉर्म में तिमाही अंतरालों पर, समेकित विवरण के रूप में प्रस्तुत करें। इस संबंध में बैंक समय-समय पर यथासंशोधित 19 नवंबर 2013 के परिपत्र एपी (डीआईआर) सं 75 से मार्गदर्शन प्राप्त करें।

2.3.8.4 <u>भारत में प्रदान की गयी प्रतिभूतियों की जमानत पर विदेश में ऋण</u>

दिनांक 3 मई 2000 की अधिसूचना सं फेमा 8 / 2000 - आर बी के विनियम 4(2) के अनुसार कोई प्राधिकृत व्यापारी भारत से बाहर रहनेवाले व्यक्ति के किसी ऋण, दायित्व या अन्य देयता के संबंध में गारंटी दे सकता है जिसमें वास्तविक व्यापारिक लेनदेन के संबंध में ऐसे ऋण, दायित्व अथवा देयता शामिल है जिस पर भारत में रहनेवाले व्यक्ति का स्वामित्व है, बशर्ते यह गारंटी विदेश में स्थित अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा वाले बैंक की प्रति-गारंटी द्वारा रक्षित हो।

2.3.8.5 अनिवासियों के लिए गारंटियां

i. रिज़र्व बैंक ने समय समय पर यथासंशोधित 3 मई 2000 की अपनी अधिसूचना सं. एफईएमए /8/2000 द्वारा प्राधिकृत व्यापारी बैंकों को समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी अनुदेशों की शर्त पर भारत से बाहर रहने वाले व्यक्ति के किसी ऋण या अन्य दायित्व या देयता के संबंध में भारत में रहने वाले व्यक्ति के पक्ष में गारंटी जारी करने की सामान्य अनुमति दी है।

ii. तदनुसार प्राधिकृत व्यापारी बैंक अनिवासी व्यक्तियों के ऋण, देयता या दायित्व वाले वास्तविक लेनदेनों के संबंध में अपनी विदेशी शाखाओं / प्रतिनिधियों या अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा वाले बैंक की ओर से भारत के निवासियों के पक्ष में गारंटियां / कार्यनिष्पादन बांड दे सकते हैं, बशर्ते वह बांड / गारंटी विदेशी प्रधान कार्यालय / शाखा / प्रतिनिधि या अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा वाले बैंक की प्रति-गारंटी द्वारा रक्षित हो।

iii. प्राधिकृत व्यापारी बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि काउंटर-गारंटियों का उचित मूल्यांकन किया जाता है तथा ऐसी गारंटियों के प्रति उनकी अपनी गारंटियां नेमी तौर पर जारी न की जायें। विदेश स्थित प्रधान कार्यालय / शाखा / प्रतिनिधि / अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा के बैंक की प्रति-गारंटी के लिए गारंटी जारी करने के पूर्व प्राधिकृत व्यापारी बैंकों को स्वयं को इस बात से संतुष्ट कर लेना चाहिए कि लागू किये जाने पर प्रति-गारंटी के अंतर्गत दायित्व को विदेशी बैंक द्वारा तत्परतापूर्वक सकारा जायेगा। यदि प्राधिकृत व्यापारी बैंक इस शर्त पर गारंटी जारी करना चाहे कि प्रति-गारंटी जारी करने वाले विदेशी बैंक से प्रतिपूर्ति प्राप्त होने पर अदायगी की जायेगी तो इस तथ्य की स्पष्ट जानकारी लाभार्थी को गारंटी दस्तावेज़ में ही दे दी जानी चाहिए।

iv. प्राधिकृत व्यापारी बैंक गारंटी लागू किये जाने पर तत्काल निवासी लाभार्थियों को रुपये में अदायगी कर सकते हैं तथा साथ-साथ प्रति-गारंटी जारी करने वाले संबंधित विदेशी बैंक से प्रतिपूर्ति प्राप्त करने की व्यवस्था कर सकते हैं।

v. जब विदेशी बैंकों की गारंटियां लागू की जा रही हों, तब उन मामलों में जहाँ प्राधिकृत व्यापारी बैंकों को अदायगी प्राप्त न हो रही हो, भारतीय रिज़र्व बैंक को रिपोर्ट प्रेषित की जानी चाहिए, जिसमें यह दर्शाया जाना चाहिए कि गारंटी के तहत देय राशि की वसूली के लिए बैंक द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं।

vi. प्राधिकृत व्यापारी बैंक विदेशी संगठनों द्वारा अथवा उनके ग्राहकों की ओर से, जो रिज़र्व बैंक से वैध लाइसेंस रखने वाले स्वयंपूर्ण मुद्रा-परिवर्तक हों, बिक्री के लिए रखे गये ब्लैंक यात्री चेकों के संबंध में यात्री चेक जारी करने वाले विदेशी संगठनों के पक्ष में गारंटियां जारी कर सकते हैं, बशर्ते विदेशी संगठनों से उपयुक्त प्रति-गारंटी प्राप्त की जाये। गारंटी लागू किये जाने की स्थिति में प्राधिकृत व्यापारी बैंक राशि प्रेषित कर सकते हैं, परन्तु, उन्हें उस पर पृथक् रिपोर्ट पूरे ब्यौरे देते हुए मुख्य महा प्रबंधक, विदेशी मुद्रा विभाग (विदेशी मुद्रा

बाज़ार प्रभाग), भारतीय रिज़र्व बैंक, केन्द्रीय कार्यालय, मुंबई -400 001 को प्रस्तुत करनी चाहिए।

vii) परिचालनगत लोचनीयता प्रदान करने तथा प्रक्रिया को सुगम बनाने की दृष्टि से, यह निर्णय लिया गया है कि प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों को, भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन के बगैर, भारतीय कंपनी के शेयर अथवा परिवर्तनीय डिबेंचर खुले प्रस्ताव/सूचीबद्धता से मुक्त होने/छोड़ने के प्रस्ताव द्वारा अनिवासी अर्जक की ओर से बैंक गारंटी जारी करने के लिए अनुमति दी जाए, बशर्ते:

क) लेनदेन भारतीय़ प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों के भारी मात्रा में अर्जन और टेकओवर) [सेबी (एसएएसटी)] विनियमावली के उपबंधों के अनुसार है;

ख) गारंटी किसी अंतर्राष्ट्रीय विख्यात बैंक की काउंटर गारंटी द्वारा कवर की गयी हो।

यह नोट किया जाए कि गारंटी सेबी (एसएएसटी)] विनियमावली के तहत यथा अपेक्षित आफर धारण अवधि (tenure) के अनुरूप अवधि के लिए वैध होगी।

viii) गारंटी के आह्वान के मामले में, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों को गारंटी के आह्वान तक पहुंचने की स्तिति संबंधी रिपोर्ट प्रधान मुख्य महाप्रबंधक, विदेशी मुद्रा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई 400001 को प्रस्तुत करना आवश्यक है।

2.3.8.6 ओवरसीज़ निवेश - पूर्णतया स्वाधिकृत सहायक कंपनियों/ विदेशी स्थित संयुक्त उद्यमों की ओर से गारंटी

(i) किसी भारतीय पक्षकार की पिछले लेखा परीक्षित तुलन पत्र की तारीख के अनुसार अपनी निवल मालियत की, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित सीमा तक अपने संयुक्त उद्यमों/पूर्णतया स्वाधिकृत सहायक कंपनियों के प्रति वित्तीय प्रतिबद्धता हो सकती है। यह वित्तीय प्रतिबद्धता निम्नलिखित रूपों में हो सकती है -

(क) संयुक्त उद्यम (जेवी)/पूर्णतया स्वाधिकृत सहायक कंपनियों (डब्ल्यूओएस) को पूंजी अंशदान और ऋण के रूप में।

(ख) जेवी/डब्ल्यूओएस की ओर से कार्पोरेट गारंटी (कार्य निष्पादन गारंटी के मामले में केवल 50 प्रतिशत मूल्य), और/या बैंक गारंटी (जो भारतीय पक्षकार की काउंटर गारंटी/संपार्श्विक से समर्थित हो) के रूप में;

(ग) जेवी/डब्ल्यूओएस की ओर से भारतीय पक्षकार (समूह की कंपनी सहित) की अचल/चल संपत्ति और अन्य वित्तीय आस्तियों पर चार्ज के रूप में।

(ii) भारतीय पक्षकार जेवी/डब्ल्यूओएस की ओर से किसी भी प्रकार की गारंटी (कार्पोरेट या व्यक्तिगत/प्राथमिक या संपार्श्विक/प्रवर्तक कंपनी द्वारा गारंटी/भारत में समूह कंपनी, सहयोगी प्रतिष्ठान या सहयोगी कंपनी द्वारा गारंटी) दे सकता है, बशर्ते

(क) सभी प्रकार की गारंटियों सहित भारतीय पक्षकार की कुल वित्तीय प्रतिबद्धता ओवरसीज प्रत्यक्ष निवेश के लिए निर्धारित समग्र सीमा के भीतर है;

(ख) कोई भी गारंटी अनिर्दिष्ट नहीं होनी चाहिए अर्थात् गारंटी की राशि और अवधि पहले से निर्दिष्ट होनी चाहिए।

(ग) कार्य निष्पादन गारंटी के मामले में, संविदा (ठेका) पूर्ण करने के लिए निर्दिष्ट समय संबंधित गारंटी की वैधता अवधि होगा।

(घ) कार्य निष्पादन गारंटी लागू करने की स्थिति में यदि वित्तीय प्रतिबद्धता की विनिर्दिष्ट सीमा का उल्लंघन होता है तो भारतीय पक्षकार को भारत से निधि भेजने के पहले रिज़र्व बैंक से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना चाहिए।

(ङ) रिज़र्व बैंक को फॉर्म ओडीआई भाग II में सभी प्रकार की गारंटियों की सूचना दी जानी चाहिए।

(iii) ओवरसीज़ प्रत्यक्ष निवेश की विद्यमान सीमा के भीतर ऑटोमेटिक रूट के अंतर्गत भारतीय पक्षकार फर्स्ट जेनेरेशन स्टेप-डाउन ऑपरेटिंग सब्सिडयरी की ओर से कार्पोरेट गारंटी दे सकता है।

(iv) भारतीय पक्षकार रिज़र्व बैंक के पूर्व अनुमोदन से दूसरी या परवर्ती पीढ़ी की स्टेप-डाउन ऑपरेटिंग सब्सिडयरी की ओर से कार्पोरेट गारंटी दे सकता है, बशर्ते भारतीय पक्षकार अप्रत्यक्ष रूप से उस ओवरसीज़ सब्सिडयरी में 51 प्रतिशत या उससे अधिक हित धारण करता है, जिसके लिए इस प्रकार की गारंटी जारी की जा रही है।

(v) भारतीय पक्षकार के ओवरसीज़ जेवी/डब्ल्यूओएस की ओर से निवासी बैंक द्वारा जारी बैंक गारंटी, जो भारतीय पक्षकार की काउंटर गारंटी/संपार्श्विक द्वारा समर्थित है, ओवरसीज़ प्रत्यक्ष निवेश के लिए भारतीय पक्षकार की वित्तीय प्रतिबद्धता की गणना में शामिल होगी। जारी होने वाली बैंक गारंटी रिज़र्व बैंक (बैंपविवि) द्वारा समय-समय पर जारी विवेकपूर्ण मानदंड के अधीन होगी।

(vi) वर्तमान/मूल गारंटी के रोलओवर को, भारतीय पार्टी की कुल वित्तीय प्रतिबद्धता का भाग होने के मद्देनज़र, नई वित्तीय प्रतिबद्धता न माना जाए, बशर्ते:

(क) मौजूदा/मूल गारंटी तत्समय/प्रचलित फेमा दिशानिर्देशों के अंतर्गत जारी हुई हो।

(ख) गारंटी के अंतिम उपयोग, अर्थात संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी/स्टेप डाउन सहायक कंपनी द्वारा उठायी गयी सुविधाओं, में कोई बदलाव न हुआ हो।

(ग) गारंटी की राशि सहित उसकी शर्तों में, वैधता अवधि को छोड़कर, कोई बदलाव न हुआ हो;

(घ) रोलओवर हुई गारंटी की रिपोर्टिंग, अब तक की भांति, समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश(ODI) फॉर्म के भाग-II में नई वित्तीय प्रतिबद्धता के रूप में किया जाएगा; और

(ड़) यदि भारतीय पार्टी किसी भी जांच / प्रवर्तन एजेंसी या विनियामक संस्था द्वारा जांच के अधीन है, तो संबंधित एजेंसी / संस्था को इस संबंध में सूचित किया जाएगा।

तथापि, यदि उक्त शर्तें पूरी न होती हों, तो भारतीय पार्टी मौजूदा गारंटी के रोलओवर / नवीकरण के लिए नामित प्राधिकृत व्यापारी बैंक के माध्यम से रिजर्व बैंक की पूर्वानुमति प्राप्त करेगी।

(vii) इसके अतिरिक्त, 03 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 8/2000-आरबी के पैरा 5(ख) के अनुसार प्राधिकृत व्यापारी बैंकों को किसी भारतीय कंपनी के विदेश में जेवी/डब्ल्यूओएस को या उसकी ओर से अपने कारोबार के संबंध में गारंटियां देने की अनुमति दी गई थी। दिनांक 27 मार्च 2007 के ए. पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 29 के अनुसार भारतीय कंपनियों के विदेश में जेवी/डब्ल्यूओएस के पक्ष में बैंकों द्वारा जारी की गई गारंटियां भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी की गई गारंटियां भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए विवेकपूर्ण मानदंडों के अधीन होंगी।

उक्त उपायों का उद्देश्य भारतीय कंपनियों को विदेश में उनके कारोबार में सहायता करना था। तथापि, यह पाया गया है कि बैंक जेवी/डब्ल्यूओएस/डब्ल्यूओएसडीएस की ओर से ऐसे प्रयोजनों के लिए गारंटियां/स्टैंडबाय साख पत्र/चुकौती आश्वासन पत्र आदि जैसी निधीतर आधारित ऋण सुविधाएं दे रहे हैं,जो उनके कारोबार से संबंधित नहीं हैं, बल्कि कुछ मामलों में रुपया ऋण की चुकौती हेतु विदेशी मुद्रा ऋण लेने के लिए इनका प्रयोग किया गया है।

तदनुसार, यह सूचित किया जाता है कि भारतीय बैंकों की विदेशों में शाखाओं/सहायक कंपनियों सहित सभी बैंक भारतीय कंपनियों के जेवी/डब्ल्यूओएस/डब्ल्यूओएसडीएस की ओर से विदेश में सामान्य कारोबार को छोड़कर अन्य संस्थाओं से किसी भी प्रकार का ऋण/अग्रिम जुटाने के लिए स्टैंडबाय साखपत्र/गारंटी/चुकौती आश्वासन पत्र जारी नहीं करेंगे। हम आगे यह भी सूचित करते हैं कि भारतीय कंपनियों के विदेश में जेवी/डब्ल्यूओएस/डब्ल्यूओएसडीएस को उनके कारोबार के संबंध में भारत में शाखाओं के माध्यम से या विदेश में शाखाओं/सहायक कंपनियों के माध्यम से निधि/निधीतर ऋण सुविधाएं प्रदान करते समय बैंकों को ऐसी सुविधाओं के अंतिम उपयोग की प्रभावी निगरानी तथा ऐसी संस्थाओं की कारोबारी आवश्यकताओं के साथ उनकी अनुकूलता सुनिश्चित करनी चाहिए।

2.3.8.7 <u>दो निवासी कंपनियों के बीच हुए समझौते के तहत गैर-निधि आधारित सुविधाओं के लिए अनिवासी गारंटी</u>

(i) भारत में निवासी दो व्यक्तियों के बीच भारतीय रुपए में उधार लेने और उधार देने के कार्य विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के उपबंधों को आकृष्ट नहीं करते हैं। ऐसे मामले, जहां रुपए में ऋण भारत से बाहर के किसी निवासी व्यक्ति की गारंटी पर दिए जाते हैं, वहां विदेशी मुद्रा संबंधी लेनदेन तब तक शामिल नहीं होता है जब तक कि गारंटी का आह्वान नहीं किया जाता है और

अनिवासी गारंटीदाता से गारंटी की राशि अदा करने की अपेक्षा नहीं की जाती है। रिज़र्व बैंक ने 26 सितंबर 2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 29/2000-आरबी के मार्फत भारत में निवासी व्यक्ति, जो कर्ज लेने वाला प्रधान व्यक्ति है (debtor), को गारंटी के अंतर्गत दायित्व वहन करने वाले भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति को भुगतान करने के लिए आम अनुमति दी है ।

(ii) समीक्षा करने पर यह निर्णय लिया गया है कि, आम अनुमति के तहत, अनिवासी गारंटी सुविधा जो भारत में निवासी दो व्यक्तियों के बीच हुए समझौते के लिए उपलब्ध है को गैर-निधि आधारित सुविधाओं (साखपत्र/गारंटी/वचन-पत्र/चुकौती आश्वासन पत्र) के लिए बढ़ा दिया जाए। गारंटी के अंतर्गत अनिवासी गारंटीदाता द्वारा दायित्व की अदायगी और उसके बाद प्रधान कर्ज लेने वाले द्वारा दायित्व की अदायगी के तरीके अब तक की भाँति 30 मार्च 2001 के ए. पी. (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं. 28 में दिए गए निर्देशानुसार जारी रहेंगे।

(iii) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों से अपेक्षित है कि वे प्रत्येक तिमाही के लिए इस बाबत अपनी सभी शाखाओं के आँकड़ों को 29 अगस्त 2012 के एपी (सीरीज) परिपत्र सं 20 को संलग्न अनुबंध में दिए गए फॉर्मेट में समेकित करके प्रस्तुत करे।

2.4 <u>अंतर-कंपनी जमाराशियों / ऋणों की गारंटियों पर प्रतिबंध</u>

बैंकों को अन्य गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों / फर्मों से गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों / फर्मों द्वारा स्वीकृत जमाराशियों / ऋणों की वापसी की गारंटी देते हुए अंतर-कंपनी जमाराशियों / ऋणों को कवर करते हुए गारंटियां निष्पादित नहीं करनी चाहिए।

2.4.1 <u>गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के पास निधियां रखने के लिए गारंटियों पर प्रतिबंध</u>

ये अनुदेश सभी प्रकार की जमाराशियों /ऋण चाहे उनका स्रोत कुछ भी हो पर लागू होंगे। इनमें न्यासों और अन्य संस्थाओं से गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा प्राप्त जमाराशियाँ /ऋण, शामिल हैं। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के पास जमाराशियां रखने में परोक्ष रूप से समर्थ बनाने के लिए गारंटियां जारी नहीं की जानी चाहिए।

2.4.2 <u>अंतर-संस्थागत गारंटियों पर प्रतिबंध</u>

2.4.2.1 बैंकों को अंतर-कंपनी जमाराशियों /ऋणों को कवर करते हुए गारंटियां निष्पादित नहीं करनी चाहिए। गैर बैंकिंग संस्थाओं के पास परोक्ष रूप से जमाराशियां रखने में समर्थ बनाने के प्रयोजन से भी गारंटियां जारी नहीं की जानी चाहिए। यह शर्त सभी प्रकार की जमाराशियों /ऋणों पर, उदाहरण के लिए न्यासों और अन्य संस्थाओं से गैर बैंकिंग कंपनियों द्वारा प्राप्त जमाराशियों /ऋणों पर, लागू होगी चाहे उनका स्रोत कुछ भी हो।

2.4.2.2 निम्नलिखित प्रकार के लेनदेन एक गैर-बैंकिंग कंपनी द्वारा दूसरी गैर बैंकिंग कंपनी को उपलब्ध करायी गयी निधियों के संबंध में बैंकों द्वारा निष्पादित गांरटियों के स्वरूप के हैं, अत: बैंकों को ऐसी प्रथाओं से बचना चाहिए :-

क) एक विक्रेता ने क्रेता पर बिल, सामान्यत: 120 से 180 दिन मुद्दती, आहरित किया, जिसे क्रेता ने स्वीकार किया तथा उसके बैंकर द्‌वारा सह-स्वीकृति दी गयी। बिलों को विक्रेता ने निभावकर्ता कंपनी से भुनाया, जिसने नियत तारीख तक उन बिलों को रखा। सह-स्वीकृति देने वाले बैंक ने अपने ग्राहक, खरीदार के नकदी ऋण खाते में रखे स्टॉकों के संबंध में आहरणाधिकार के प्रति बिलों के अंतर्गत देयता के लिए हमेशा निधियां अलग रखीं, अथवा

ख) निभावकर्ता कंपनी ने बैंक द्‌वारा निष्पादित गारंटी के तहत बैंक के ऋणकर्ता के पास विनिर्दिष्ट अवधि के लिए जमाराशियां रखीं। ऐसे मामले में भी बैंक ने नकद ऋण खाते में उपलब्ध आहरणाधिकार के प्रति राशि अलग रखीं।

2.4.2.3 (क) अब से, बैंक अन्य बैंकों, वित्तीय संस्थाओं तथा ऋण देने वाली अन्य एजेंसियों द्‌वारा दिए गए ऋणों के लिए उनके पक्ष में गारंटी निर्गत कर सकते हैं परंतु इस संबंध में उन्हें निम्नलिखित शर्तों का कड़ाई से पालन करना पड़ेगा।

(i) निदेशक-मंडल को बैंक की जोखिम प्रबंध प्रणाली की सुस्वस्थता /सुदृढ़ता को समझ लेना चाहिए और तदनुसार इस संबंध में एक सुव्यवस्थित नीति तैयार करनी चाहिए।

निदेशक-मंडल द्‌वारा अनुमोदित नीति में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए :

- बैंक की टीयर I पूंजी से संबद्ध किस विवेकपूर्ण सीमा तक अन्य बैंकों, वित्तीय संस्थाओं तथा ऋण देने वाली अन्य एजेंसियों के पक्ष में गारंटी निर्गत की जा सकती है।
- जमानत और मार्जिनों का स्वरूप तथा सीमा
- अधिकारों का प्रत्यायोजन
- रिपोर्टिंग प्रणाली
- आवधिक समीक्षाएं

(ii) गारंटी केवल उधारकर्ता-ग्राहकों के संबंध में तथा उन्हें अन्य बैंकों, वित्तीय संस्थाओं तथा ऋण देने वाली अन्य एजेंसियों से अतिरिक्त ऋण प्राप्त करने के लिए उपलब्ध करायी जाएगी।

(iii) गारंटी देने वाला बैंक गारंटीकृत ऋणादि जोखिम के कम से कम 10 प्रतिशत के बराबर निधिक ऋणादी जोखिम की जिम्मेवारी लेगा।

(iv) बैंकों को विदेशी ऋणदाताओं के पक्ष में तथा विदेशी ऋणदाताओं को समनुद्देश्य गारंटी अथवा लेटर ऑफ कंफर्ट प्रदान नहीं करने चाहिए। तथापि, प्राधिकृत व्यापारी बैंक दिनांक 3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 8/2000-आर बी में निहित प्रावधानों से भी मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं।

(v) बैंक द्‌वारा निर्गत की गई गारंटी ऋण लेने वाली उस संस्था पर ऋणादि जोखिम माना जाएगा जिसकी ओर से गारंटी निर्गत की गई है तथा उनके लिए प्रचलित दिशानिर्देशों के अनुसार समुचित जोखिम-भार लागू होगा।

(vi) बैंकों को घोष समिति की सिफारिशों तथा गारंटी निर्गत करने से संबंधित अन्य अपेक्षाओं का पालन करना चाहिए ताकि इस संबंध में धोखाधड़ी की संभावनाओं से बचा जा सके।

(vii) हाल ही में कुछ बैंक कार्पोरेट संस्थाओं द्वारा जारी अपरिवर्तनीय डिबेंचरों के संबंध में ऐसी संस्थाओं की ओर से गारंटियां जारी कर रहे हैं। यह स्पष्ट किया जाता है कि मौजूदा अनुदेश केवल ऋणों पर लागू होते हैं, बाण्डों अथवा ऋण लिखतों पर नहीं। कार्पोरेट बॉण्ड अथवा कोई भी ऋण लिखत के लिए बैंकिंग प्रणाली द्वारा दी गई गारंटियों का न केवल प्रणालीगत प्रभाव पड़ता है बल्कि वे एक वास्तविक कार्पोरेट ऋण बाज़ार के विकसित होने में भी बाधाएं डालती हैं। बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे मौजूदा विनियमों का कड़ाई से अनुपालन करें और विशिष्ट रूप से किसी भी प्रकार के बॉण्ड अथवा ऋण लिखतों के निर्गम के लिए गारंटियां अथवा समतुल्य प्रतिबद्धताएं प्रदान न करें।

2.4.2.3 (ख) <u>ऋण देने वाले बैंक</u>

अन्य बैंकों /वित्तीय संस्थाओं द्वारा निर्गत की गई गारंटियों के आधार पर ऋण-सुविधा उपलब्ध कराने वाले बैंकों को निम्नलिखित शर्तों का कड़ाई से पालन करना चाहिए :

(i) अन्य बैंक /वित्तीय संस्था की गारंटी के आधार पर कोई बैंक जिस ऋण की जिम्मेवारी लेगा उसे गारंटी देने वाले बैंक /वित्तीय संस्था का ऋण माना जाएगा तथा उसके लिए प्रचलित दिशानिर्देशों के अनुसार समुचित जोखिम-भार भी लागू होगा।

(ii) अन्य बैंकों द्वारा निर्गत गारंटी के आधार पर ऋण सुविधा के रूप में कोई बैंक जिस ऋण की जिम्मेवारी लेगा उसकी गणना निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित की गई अंतर-बैंक एक्सपोज़र के अंतर्गत की जाएगी। चूंकि अन्य बैंक /वित्तीय संस्था की गारंटी के आधार पर कोई बैंक जिस ऋण की जिम्मेवारी लेगा उसकी अवधि मुद्रा बाज़ार, विदेशी मुद्रा बाजार और प्रतिभूति बाजार में किए जाने वाले अंतर-बैंक लेनदेनों की जिम्मेवारियों की अवधि से लंबी होगी, इसलिए निदेशक मंडल को दीर्घावधिक ऋणों के मामले में एक उपयुक्त उपसीमा निश्चित कर देनी चाहिए क्योंकि ऐसे ऋणों के मामले में जोखिम अपेक्षाकृत ज्यादा होता है।

(iii) बैंकों को चाहिए कि गारंटी देने वाले बैंक /वित्तीय संस्था पर जिस ऋण की जिम्मेवारी पड़ती है, उस पर वे अनवरत नजर रखें और यह सुनिश्चित करें कि बैंकों के लिए निदेशक-मंडल द्वारा निश्चित की गई विवेकपूर्ण सीमाओं /उप सीमाओं का तथा वित्तीय संस्थाओं के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निश्चित की गई एकल उधारकर्ता विवेकपूर्ण सीमाओं का कड़ाई से पालन किया जा रहा है।

(iv) बैंकों को घोष समिति की सिफारिशों तथा गारंटी स्वीकार करने से संबंधित अन्य अपेक्षाओं का पालन करना चाहिए ताकि इस संबंध में धोखाधड़ी की संभावनाओं से बचा जा सके।

2.4.2.4 अपवाद

(i) बीमार / कमजोर औद्योगिक इकाइयों के पुनर्वास के संबंध में, आपवादिक मामलों में, जहाँ चलनिधि संबंधी अस्थायी अवरोधों के कारण बैंक पुनर्वास पैकेजों में भाग लेने में असमर्थ हों, संबंधित बैंक उन बैंकों के पक्ष में गारंटियां प्रदान कर सकते हैं जो उनका अतिरिक्त हिस्सा ले रहे हों। ऐसी गारंटियां उस समय तक लागू रहेंगी जब तक गारंटियों के प्रति अतिरिक्त वित्त प्रदान करने वाले बैंकों की पुन: क्षतिपूर्ति न कर दी जाये।

(ii) मूलभूत संरचना संबंधी परियोजनाओं के संबंध में, बैंक अन्य ऋणदाता संस्थाओं के पक्ष में गारंटी दे सकता है बशर्ते कि गारंटी देने वाला बैंक परियोजना की लागत के न्यूनतम 5 प्रतिशत के बराबर परियोजना का निधिक शेयर लेता है और परियोजना के संबंध में सामान्य ऋण मूल्यांकन, निगरानी और तत्संबंधी अनुवर्ती कार्य करता है।

(iii) मशीनरी की बिक्री के लिए आईडीबीआई बैंक लि.[1] तथा सिडबी, पी एफ सी आदि जैसी अन्य अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा परिचालित `सेलर्स लाइन अ|फ क्रेडिट स्कीम' (एस एल सी एस) के मामले में विक्रेता के बैंक द्वारा विक्रेता को क्रेता पर आहरित बिलों के माध्यम से प्राथमिक ऋण प्रदान किया जाता है तथा विक्रेता के बैंक की कोई पहुंच लेनदेन द्वारा समाविष्ट उस प्रतिभूति तक नहीं होती जो क्रेता के पास रहती है। अत: क्रेता के बैंकों को इस बात की अनुमति होती है कि वे विक्रेता की ऋण व्यवस्था के तहत आहरित बिलों के लिए गारंटी / सहस्वीकृति की सुविधा प्रदान करें।

(iv) इसी प्रकार संपत्ति का स्पष्ट और विक्रेय हक देने में असमर्थ निजी ऋणकर्ताओं को हुडको /राज्य आवास बोर्डों अÙर उसी प्रकार के निकायों / संगठनॉ द्वारा स्वीकृत ऋणों के लिए उनके पक्ष में गारंटी जारी की जा सकती है, बशर्ते बैंक ऐसे ऋणों के संबंध में ऋणकर्ताओं की समुचित ऋण शोधन क्षमता के बारे में अन्यथा संतुष्ट हों।

(v) बैंक सुलभ ऋणों और / या अन्य प्रकार की विकास सहायता प्राप्त करने के लिए अपने ग्राहकों की ओर से इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, नेशनल हार्टीकल्चर बोर्ड जैसी विकास एजेंसियों / बोर्डों के पक्ष में गारंटियों के निर्गम की स्वीकृति दे सकते हैं।

2.4.2.5 **मूलभूत संरचना संबंधी परियोजनाएं**

मूलभूत संरचना संबंधी परियोजनाओं के लिए उधार देने की प्रमुख विशिष्टताएं, अर्थात् ऋणदाता के स्तर पर मूल्यांकन कौशल की उच्च स्तर तथा परियोजना अवधि के अनुरूप परिपक्वता वाले संसाधनों की उपलब्धता, को ध्यान में रखते हुए बैंकों को सिर्फ मूलभूत

---

[1] पहले के आईडीबीआई द्वारा परिचालित की जा रही योजना आईडीबीआई बैंक लिमिटेड जारी जारी रखी जा रही है।

संरचना संबंधी परियोजनाओं के संबंध में निम्नलिखित शर्तों पर अन्य ऋणदाता एजेंसियों के पक्ष में गारंटियां जारी करने के मामले में विवेकाधिकार दिया गया है :

(i) गारंटी जारी करने वाला बैंक परियोजना में परियोजना की लागत के कम से कम 5 प्रतिशत के बराबर की निधिक भागीदारी करता है तथा परियोजना के संबंध में सामान्य ऋण मूल्यांकन, निगरानी तथा तत्संबंधी अनुवर्ती कार्य करता है।

(ii) गारंटीकर्ता बैंक के पास विवेकपूर्ण विनियमों जैसे पूंजी पर्याप्तता, ऋण जोखिम, आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण अüर प्रावधान करने संबंधी मानदंडों आदि के अनुपालन का संतोषजनक रिकार्ड हो।

2.5 <u>लागू की गयी गारंटियों की अदायगी</u>

2.5.1 जहां गारंटी लागू की गयी हो, वहां लाभार्थियों को बिना विलंब के राशि अदा की जानी चाहिए। गारंटियों को तत्काल सकारना सुनिश्चित करने के लिए एक उपयुक्त प्रक्रिया निर्धारित की जानी चाहिए, ताकि इस कारण से विलंब न हो कि विधिक सलाह या उच्चतर प्राधिकारियों का अनुमोदन प्राप्त किया जा रहा है।

2.5.2 गारंटी लागू किये जाने पर उन्हें सकारने में बैंकों के स्तर पर देरी किये जाने से बैंक गारंटियों के मूल्य, गारंटी योजना की महत्ता अüर बैंकों की छवि को नुकसान पहुंचता है। इससे पक्षकारों को इस बात का अवसर मिलता है कि वे न्यायालय का आश्रय लें अüर निषेधाज्ञा प्राप्त करें। सरकारी विभागों के पक्ष में जारी की गयी गारंटियों के मामले में, इससे न सिर्फ राजस्व की वसूली के प्रयास में देरी होती है, अपितु इससे ऐसी गलत धारणा भी बनती है कि बैंक की पक्षकारों से सक्रिय मिलीभगत है, जिससे बैंकिंग तंत्र की छवि खराब होती है।

2.5.3 एक प्रभावी प्रणाली होनी चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जिन लोगों की ओर से गारंटी जारी की गयी हो वे कार्यनिष्पादन गारंटियों के मामले में अपना दायित्व पूरा करने अüर वित्तीय गारंटियों के मामले में जब कभी आवश्यक हो अपने निजी संसाधनों से वचनबद्धता सकारने की स्थिति में हो।

2.5.4 गारंटी लागू करने पर तुरंत भुगतान करने के लिए बैंकों के सर्वोच्च प्रबंध-तंत्र को उचित प्रक्रिया विकसित करने की आवश्यकता की ओर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना चाहिए, ताकि ऐसी शिकायतों की कोई गुंजाइश न रहे। जब जारी की गयी गारंटियों को न सकारने के संबंध में शिकायतें आयें, विशेष रूप से सरकारी विभागों से, तो मुख्य कार्यपालक अधिकारी सहित बैंक के शीर्ष प्रबंध-तंत्र को ऐसी शिकायतों के बारे में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना चाहिए।

2.5.5 इस संबंध में दिल्ली उच्च न्यायालय ने लागू किये जाने पर गारंटियों की प्रतिबद्धता को तुरंत पूरा न करने में कतिपय बैंकों के विरुद्ध प्रतिकूल टिप्पणियां की हैं। यह पाया गया है कि बैंक गारंटी हिताधिकारी और बैंक के बीच एक संविदा है। जब हिताधिकारी बैंक-गारंटी लागू करता है और बैंक-गारंटी के अनुसार उक्त गारंटी को लागू करने का पत्र भेजा जाता है, तो बैंक के लिए हिताधिकारी को भुगतान करना बाध्यकारी होता है।

2.5.6 उच्चतम न्यायालय ने [उ. प्र. सहकारी फेडरेशन प्राइवेट लिमिटेड बनाम सिंह कंसल्टेंट्स एण्ड इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड (1988 आइसी एसएससी 174)] यह कहा है कि बैंकों की प्रतिबद्धताएं न्यायालयों के हस्तक्षेप के बिना पूरी की जानी चाहिए।

उक्त मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय से प्रासंगिक उद्धरण निम्नलिखित है :-

``अत: हमारी राय में सही कानूनी स्थिति यह है कि बैंकों की प्रतिबद्धता न्यायालयों के हस्तक्षेप के बिना पूरी की जानी चाहिए और केवल अपवाद के मामले में, जैसे कि धोखाधड़ी के मामले में या ऐसी स्थिति में, जहां बैंक गारंटी के नकदीकरण की अनुमति देने पर अपूरणीय अन्याय हो जायेगा, न्यायालय को हस्तक्षेप करना चाहिए।"

2.5.7 ऐसी स्थितियों से बचने के लिए बैंकों के लिए यह नितांत रूप से अनिवार्य है कि वे गारंटियों के प्रस्तावों का उतनी ही सावधानी और निष्ठापूर्वक मूल्यांकन करें जैसा कि निधि पर आधारित ऋण सीमाओं के लिए किया जाता है और मार्जिन के द्वारा पर्याप्त सुरक्षा प्राप्त करें, ताकि जब लागू की गयी गारंटियों का बैंकों द्वारा भुगतान किया जाये, तो ग्राहकों में भुगतानों में चूक करने की प्रवृत्ति विकसित न हो।

2.5.8 (i) बैंक-गारंटी योजना के सुचारु रूप से कार्य करने के लिए यह सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि इसकी कार्यप्रणाली के संबंध में सरकारी विभागों में कोई भी असंतोष नहीं हो। बैंकों से यह सुनिश्चित करने की अपेक्षा की जाती है कि वे उनके द्वारा जारी गारंटियों को गारंटी विलेख की शर्तों के अनुसार सरकारी विभागों द्वारा लागू किये जाने पर बिना किसी विलंब और संकोच के सकारें, जब तक कि किसी न्यायालय का अन्यथा आदेश न हो।

(ii) लागू की गयी गारंटी के अंतर्गत दायित्व को न सकारने का कोई निर्णय समुचित रूप से वरिष्ठ स्तर पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरांत लिया जाये और सिर्फ ऐसी परिस्थितियों में ही उक्त प्रकार का निर्णय लिया जाये जब बैंक इस बात से संतुष्ट हो कि हिताधिकारी को ऐसा कोई भुगतान भारतीय संविदा अधिनियम के अंतर्गत गारंटी की शर्तों के अनुसार वैध भुगतान नहीं माना जायेगा।

(iii) सरकारी विभागों से प्राप्त ऐसी शिकायतों के लिए बैंकों के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इस कार्य में लगे अधिकारियों को पर्याप्त अधिकार दिये जाने चाहिए, ताकि गारंटी के अंतर्गत भुगतान के लिए उच्चतर प्राधिकारियों के पास मामला भेजने के कारण विलंब न हो।

(iv) गारंटी का समय पर भुगतान न होने के लिए स्टाफ का उत्तरदायित्व तय किया जाना चाहिए और दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध सभी स्तरों पर बर्खास्तगी जैसे कड़े दंड देने सहित सख्त अनुशासनिक कार्रवाई की जानी चाहिए।

(v) जहां बैंकों ने उच्च न्यायालयों के अंतरिम आदेशों के संदर्भ में विभेदक शुल्क राशियों को पूरा करने के लिए सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारियों के पक्ष में बैंक गारंटियां निष्पादित की हैं, वहां न्यायालयों द्वारा स्थगन आदेशों को हटाये जाने पर गारंटी

लागू होने की स्थिति में गारंटियों की राशि का तत्काल भुगतान किया जाना चाहिए। बैंकों को इस बहाने यह राशि रोकनी नहीं चाहिए कि इससे उनकी अर्थसुलभता (लिक्विडिटी) की स्थिति प्रभावित होगी।

2.5.9 वित्त मंत्रालय से इस तरह की शिकायतें भी मिली हैं कि कुछ विभागों, जैसे राजस्व विभाग, भारत सरकार, के लिए विभिन्न न्यायालयों द्वारा उनके पक्ष में दिये गये निर्णयों को निष्पादित करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जब तक न्यायालय के निर्णयों की प्रमाणित प्रतिलिपि उन्हें उपलब्ध नहीं करा दी जाती, बैंक अपनी गारंटियों को सकारते नहीं हैं। इस संबंध में बैंक निम्नलिखित क्रियाविधि का अनुसरण करें:

(i) जहां बैंक गारंटी को लागू करने के लिए सरकार द्वारा आरंभ की गयी कार्यवाही में बैंक एक पक्ष हो और न्यायालय द्वारा मामले का निर्णय सरकार के पक्ष में दिया गया हो तो बैंकों को निर्णय की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने के लिए आग्रह नहीं करना चाहिए, क्योंकि निर्णय / आदेश पक्षों /उनके वकीलों की उपस्थिति में खुले न्यायालय में सुनाया जाता है और बैंक इस निर्णय से अवगत होता है।

(ii) यदि बैंक कार्यवाहियों में एक पक्ष नहीं है तो उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार / उप या सहायक रजिस्ट्रार द्वारा प्रमाणित आदेश के कार्यविवरण की हस्ताक्षरित प्रति या उच्च न्यायालय के निर्णय /आदेश की सरकारी वकील द्वारा सत्य प्रतिलिपि के रूप में अनुप्रमाणित साधारण प्रतिलिपि गारंटी के अंतर्गत प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगी, यदि गारंटीकर्ता बैंक उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध कोई अपील दायर नहीं कर रहा हो।

(iii) गारंटी जब भी लागू की जाये, बैंकों को गारंटी विलेखों की शर्तों के अनुसार उनके द्वारा जारी की गयी गारंटियों को सकारना चाहिए। कोई विवाद होने पर यदि आवश्यक हो तो जारी की गयी गारंटियों का विरोध के साथ भुगतान किया जा सकता है और विवाद के मामले में अलग से अनुवर्ती कार्रवाई की जा सकती है।

(iv) सरकार ने अपनी ओर से विभिन्न सरकारी विभागों, आदि को सूचित किया है कि गारंटियाँ लागू करने (इनवोकेशन) का निर्णय वरिष्ठ स्तर पर ध्यानपूर्वक यह विचार करने के बाद लिया जाये कि गारंटी विलेख में निहित गारंटियों की शर्तों के अनुसार चूक हुई है।

(v) लागू की गयी गारंटियों के अंतर्गत प्रतिबद्धताओं को सकारने के संबंध में इन अनुदेशों का अनुपालन न किया जाना भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अत्यधिक गंभीरता से लिया जायेगा और ऐसे बैंकों के विरुद्ध रिज़र्व बैंक निवारक कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगा।

2.6 <u>बिलों की सह-स्वीकृति</u>

2.6.1 <u>सामान्य</u>

रिज़र्व बैंक ने यह देखा है कि कुछ बैंक बिना कोई विशेष ध्यान दिये अपने ग्राहकों के बिलों को सह-स्वीकृत करते हैं और अन्य बैंकों द्वारा सह-स्वीकृत किये गये बिलों को भुनाते भी हैं। बाद में ये बिल सहयोगी संस्थाओं द्वारा एक दूसरे पर आहरित निभाव बिल निकलते हैं,

जिनमें कोई वास्तविक व्यापारिक लेनदेन नहीं होता। ऐसे बिलों को भुनाते समय बैंक इस महत्वपूर्ण पहलू को संभवत: अन्य बैंकों द्वारा दी गयी सह-स्वीकृति के कारण नजरंदाज कर देते हैं। परिपक्व होने पर ऐसे बिल आदेशितियों द्वारा सकारे नहीं जाते हैं और उन बैंकों को, जो इन बिलों को सह-स्वीकृत करते हैं, इन बिलों का भुगतान करना पड़ता है और बिलों के आहरणकर्ताओं /आदेशितियों से उक्त राशि वसूल करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। बैंक बड़ी राशियों के ऐसे बिलों को भी बट्टाकृत करते हैं जो कतिपय शहरी सहकारी बैंकों द्वारा सह-स्वीकृत किये जाते हैं। परिपक्वता होने पर ऐसे बिल सकारे नहीं जाते और उन सहकारी बैंकों के लिए भी, जो इन बिलों को सकारने के लिए उन्हें सह-स्वीकृत करते हैं, उनका भुगतान करना मुश्किल होता है। आवश्यकता होने पर सह-स्वीकृत करने वाले बैंक की वित्तीय स्थिति और क्षमता की जानकारी नहीं ली जाती है। ऐसे मामले भी पाये गये हैं जहां बिलों की सह-स्वीकृति के संबंध में विवरण बैंक की बहियों में अभिलिखित नहीं किये जाते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि निरीक्षणों के दौरान उनके विस्तार का सत्यापन नहीं किया जा सकता और प्रधान कार्यालय को सह-स्वीकृति का केवल तब पता चलता है जब भुनाने वाले बैंक से दावा प्राप्त होता है।

2.6.2 **<u>सुरक्षा के उपाय</u>**

बैंकों को सुरक्षा के निम्नलिखित उपायों को ध्यान रखना चाहिए :

(i) अपने ग्राहकों को सह-स्वीकृति सीमाएं मंजूर करते समय उसकी आवश्यकता सुनिश्चित करनी चाहिए और ऐसी सीमाओं की सुविधा केवल उन ग्राहकों को प्रदान की जानी चाहिए जिन्होंने बैंक से अन्य सीमाओं का लाभ उठाया हो।

(ii) केवल वास्तविक व्यापारिक बिल ही सह-स्वीकृत किये जाने चाहिए और बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सह-स्वीकृत बिलों में निहित माल वास्तव में उधारकर्ता के स्टॉक-खाते में प्राप्त हो गया है।

(iii) साथ में प्राप्त बीजक में उल्लिखित माल के मूल्यांकन का सत्यापन यह पता लगाने के लिए करना चाहिए कि स्टॉक का अति मूल्यांकन तो नहीं किया गया है।

(iv) बैंकों को एक समूह की संस्थाओं द्वारा एक दूसरे पर आहरित आंतरिक बिलों /निभाव बिलों को अपनी सह-स्वीकृति प्रदान नहीं करनी चाहिए।

(v) अन्य बैंकों द्वारा सह-स्वीकृत ऐसे बिलों को बट्टाकृत करने वाले बैंकों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि ये बिल निभाव बिल नहीं है और सह-स्वीकृत करने वाला बैंक आवश्यकता पड़ने पर दायित्व को उन्मोचित (रिडीम) करने की क्षमता रखता है।

(vi) अन्य बैंकों द्वारा सह-स्वीकृत बिलों को बट्टाकृत करने के लिए प्रत्येक बैंक के आकार को ध्यान में रखते हुए बैंकवार सीमाएं नियत की जानी चाहिए और अन्य बैंकों के अधिकारियों के संगत अधिकार बट्टाकर्ता बैंक के पास पंजीकृत कराये जाने चाहिए।

(vii) इस बात की सावधानी बरती जानी चाहिए कि किसी बैंक की सह-स्वीकृति देयता उसकी ज्ञात संसाधन स्थिति की तुलना में गैर-आनुपातिक नहीं हो।

(viii) बकाया बिलों के संबंध में सह-स्वीकृति देने वाले बैंकों की देयताओं की आवधिक पुष्टि प्राप्त करने की कोई प्रणाली आरंभ की जानी चाहिए।

(ix) प्रत्येक ग्राहक के लिए सह-स्वीकृत बिलों का उचित अभिलेख रखा जाना चाहिए, ताकि प्रत्येक ग्राहक के लिए प्रतिबद्धताओं और किसी एक शाखा में कुल प्रतिबद्धताओं का तुरंत पता लगाया जा सके और आंतरिक निरीक्षकों द्वारा इसकी जांच की जानी चाहिए और अपनी रिपोर्टों में इन पर टिप्पणियां देनी चाहिए।

(x) भुनाने वाले बैंक के लिए यह भी वांछनीय है कि जब कभी ऐसा लेनदेन गैर-आनुपातिक या बड़ा प्रतीत हो तो उस बैंक के प्रधान कार्यालय /नियंत्रक कार्यालय को सूचित करें, जिसने इन बिलों को सह-स्वीकृत किया है।

(xi) समुचित आवधिक विवरणियां निर्धारित की जानी चाहिए, ताकि शाखा प्रबंधक अपने द्वारा निष्पादित इस प्रकार की सह-स्वीकृति की प्रतिबद्धताओं की नियंत्रण कार्यालयों को सूचना दे सकें।

(xii) ऐसी विवरणियों से उन बिलों की स्थिति भी प्रकट होनी चाहिए जो अतिदेय हो चुके हैं और सह-स्वीकृति दायित्व के अंतर्गत जिन्हें बैंक को पूरा करना पड़ा। इससे नियंत्रण कार्यालय, शाखाओं द्वारा प्रस्तुत इस प्रकार के सह-स्वीकृतियों पर निगरानी रख सकेंगे और कठिन मामले में समय पर उचित कार्रवाई कर सकेंगे।

(xiii) 10,000 रुपये तथा इससे अधिक राशि के बिलों की सह-स्वीकृतियों पर दो अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षर होने चाहिए, इस नियम का व्यतिक्रम अपवादस्वरूप ही अर्थात् किसी शाखा पर दो अधिकारी न होने पर होना चाहिए।

(xiv) अन्य बैंकों द्वारा सह-स्वीकृत 2 लाख रुपये और उससे अधिक राशि के किसी एकल पक्ष के / उससे प्राप्त बिलों को भुनाने / क्रय करने से पहले बैंक को स्वीकृत करने वाले बैंक के संबद्ध नियंत्रण (क्षेत्रीय / मंडल / अंचल) कार्यालय की लिखित पुष्टि प्राप्त करनी चाहिए और उसका अभिलेख रखना चाहिए।

(xv) जब किसी एकल उधारकर्ता / उधारकर्ताओं के समूह के भुनाये जाने वाले /क्रय किये जाने वाले बिलों का (जो अन्य बैंकों द्वारा सह-स्वीकृत किये गये हैं) कुल मूल्य 20 लाख रुपये से अधिक हो रहा हो तो भुनाने वाले बैंक द्वारा सह-स्वीकृत करने वाले बैंक के प्रधान कार्यालय का लिखित पूर्वानुमोदन प्राप्त करना चाहिए।

2.6.3 बिलों को सह-स्वीकृत करने में बैंकों द्वारा अपनाये जाने वाले उपर्युक्त सुरक्षा उपायों के अलावा यह नोट किया जाना चाहिए कि आइडीबीआइ बैंक लि. तथा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं, यथा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड (पीएफसी) आदि द्वारा आरंभ की गयी क्रेता को ऋण सुविधा (बायर्स लाइन ऑफ क्रेडिट) योजनाओं के अंतर्गत आहरित बिल सह-स्वीकृत करने से बैंकों को मना किया गया है। उसी प्रकार बैंकों को गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा आहरित बिल को सह-स्वीकृति नहीं दी जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक योजना के अंतर्गत अपने क्रेताओं /ग्राहकों की ओर से सह-स्वीकृति प्रदान न करें।

2.6.4 तथापि बैंक, आईडीबीआई बैंक लि.[2] तथा आईडीबीआई बैंक लि.[3] द्वारा परिचालित अखिल भारतीय बिल डिस्काउंटिंग संस्थाओं तथा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं यथा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड (पीएफसी) आदि द्वारा परिचालित विक्रेता की ऋण सुविधा (सेलर्स लाइन ऑफ क्रेडिट) योजनाओं के अंतर्गत आहरित बिलों को क्रेता के भुगतान करने की क्षमता और व्यक्तिगत /समूह उधारकर्ताओं के लिए बैंक द्वारा निर्धारित ऋण जोखिम मानदंडों का अनुपालन करने की शर्त के अंतर्गत बिना किसी सीमा के सह-स्वीकृत कर सकते हैं।

2.6.5 ऐसे उदाहरण हैं जिनमें बैंकों की शाखाएं अपने ग्राहकों की ओर से साखपत्र (एल /सी) खोलती हैं और ऐसे साखपत्रों के अंतर्गत बिलों को सह-स्वीकृत भी करती हैं। कानूनी रूप से यदि कोई बैंक अपने स्वयं के साखपत्र के अंतर्गत आहरित कोई बिल सह-स्वीकृत करता है तो इस प्रकार सह-स्वीकृत किया हुआ बिल एक स्वतंत्र दस्तावेज हो जाता है और वाणिज्यिक ऋणों पर लागू विशेष नियम ऐसे बिल पर लागू नहीं होते हैं तथा ऐसा बिल केवल विनिमय पत्रों से संबंधित कानून अर्थात् परक्राम्य लिखत अधिनियम द्वारा नियंत्रित होता है। ऐसे बिल के बेचान-कर्ता बैंक पर साखपत्र की शर्तों के संदर्भ में बिल के विवरणों की जांच करने की कोई बाध्यता नहीं है। अत: यह प्रथा अनावश्यक है और इससे साखपत्र जारी करने का प्रयोजन ही समाप्त हो जाता है। भुनाने वाले बैंकों को, पहले सह-स्वीकृत करने वाले बैंकों से अपने स्वयं के साखपत्र के अंतर्गत जारी बिलों की ऐसी सह-स्वीकृति के लिए कारण पता करने चाहिए और ऐसे लेनदेन की प्रामाणिकता के बारे में स्वयं संतुष्ट होने पर ही ऐसे बिलों को भुनाने पर विचार करना चाहिए।

---

[2] पहले के आईडीबीआई द्वारा परिचालित की जा रही योजना आईडीबीआई बैंक लिमिटेड द्वारा जारी रखी जा रही है।

[3] पहले के आईडीबीआई द्वारा परिचालित की जा रही योजना आईडीबीआई बैंक लिमिटेड द्वारा जारी रखी जा रही है।

2.6.6 यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि बिलों की सह-स्वीकृति के समय शाखा पदाधिकारी उपर्युक्त अनुदेशों का कड़ाई से अनुपालन करते हैं। यह सूचित किया जाता है कि इस संबंध में स्पष्ट उत्तरदायित्व निश्चित किया जाना चाहिए और जो पदाधिकारी इन अनुदेशों का अनुपालन न करते हुए पाये जायें, उनके साथ सख्ती बरती जानी चाहिए।

2.7 साख पत्र के मामले में बरती जानेवाली सावधानी

2.7.1. बैंकों को चाहिए कि वे ऐसी पार्टियों को जो उनके नियमित ग्राहक नहीं हैं, गैर-निधि आधारित सुविधाएं या अतिरिक्त/तदर्थ ऋण सुविधाएं प्रदान न करें और न ही ऐसे लाभान्वितियों के लिए, जो उनके नियमित ग्राहक नहीं हैं, साख पत्र के अधीन या अन्यथा आहरित बिलों की भुनाई करें। मालों के आयात के लिए साख पत्रों के मामले में बैंकों को शिपिंग दस्तावेजों के आधार पर विदेश स्थित आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान करते समय बहुत ही सतर्क रहना चाहिए। उन्हें ग्राहकों की तुलना करते समय पूर्व सावधानी और सतर्कता बरतनी चाहिए। दस्तावेज साख पत्रों की शर्तों के पूरी तरह अनुरूप हैं यह सुनिश्चित करने के बाद ही विदेशी पार्टियों को भुगतान जारी करना चाहिए। साख पत्र संबंधी कारोबार में कई अनियमितताएं देखी गयी हैं, जैसे - साख पत्र लेनदेनों को साख पत्र जारी करनेवाले पदाधिकारियों द्वारा शाखा की बहियों में दर्ज नहीं किया जा रहा है, साख पत्र की राशि पदाधिकारियों को प्राप्त शक्तियों से कहीं अधिक मात्रा में होना, कपट पूर्ण ढंग से साख पत्र जारी करना जिसमें लाभान्विती और ग्राहक के बीच षडयंत्र/मिलीभगत होती है। ऐसे मामलों में यदि आपराधिक षडयंत्र शामिल हो तो, संबंधित अधिकारियों तथा जिस ग्राहक की ओर से साख पत्र खोला गया है उसके और साख पत्र के लाभान्विती के विरुद्ध बैंकों को कार्रवाई करनी चाहिए।

2.7.2 <u>साख पत्र के अधीन दावों का निपटान</u>

यदि साख पत्र के अधीन आहरित बिलों का भुगतान नहीं किया जाता है तो साख पत्र के स्वरूप तथा भुगतान के स्वीकृत माध्यम के रूप में संबंधित बिलों पर विपरीत असर पड़ेगा। इससे बैंकों के माध्यम से किये जानेवाले समूचे भुगतान तंत्र की साख भी प्रभावित होगी और बैंकों की छवि पर भी असर पड़ेगा। अत: बैंकों को चाहिए कि वे साख पत्र के अधीन अपनी वचनबद्धता को सकारें तथा तुरंत भुगतान करें।

अनुबंध **1**

बैंक गारंटी बांड का संशोधित मॉडल फार्म
[पैराग्राफ 2.2.7.2 देखें]

गारंटी बांड

1. भारत के राष्ट्रपति (इसके बाद `सरकार' के नाम से अभिहित) द्वारा ........................... (इसके बाद `उक्त ठेकेदार (रों)' के नाम से अभिहित) का .... और ....के बीच .... के लिए किये गये दिनांक ....के एक करार (इसके बाद `उक्त करार' के नाम से अभिहित) के अंतर्गत ....रुपये (............ ....रुपये मात्र) की बैंक गारंटी प्रस्तुत करने पर उक्त ठेकेदार (रों) द्वारा, उक्त करार में निहित शर्तें विधिवत पूरी करने के लिए जमानत राशि से छूट प्रदान करने के लिए सहमत हो जाने के परिणामस्वरूप हम, ...ढइसके बाद `बैंक' नाम से अभिहित (बैंक का नाम इंगित करें)ज्...(ठेकेदार/रों) के अनुरोध पर उक्त करार में निहित शर्तों में से ठेकेदार/रों द्वारा किसी शर्त का उल्लंघन किये जाने के कारण सरकार को अधिकतम ....रुपये की राशि अदा करने का वचन देते हैं।

2. हम ....(बैंक का नाम इंगित करें) एतद्द्वारा इस गारंटी के अंतर्गत नियत और देय राशियां, सरकार द्वारा मात्र यह कहते हुए मांग करने पर कि दावा की हुई राशि उक्त ठेकेदार (रों) द्वारा उक्त करार में निहित किसी शर्त का उल्लंघन करने या उक्त ठेकेदार(रों) के उक्त करार को निष्पादित करने में असफल होने से हुई या होने वाली या सरकार द्वारा वहन की गयी हानि या क्षति के कारण देय हो गयी है, बिना किसी आपत्ति के अदा करने का वचन देते हैं। इस गारंटी के अंतर्गत नियत और बैंक द्वारा देय राशि के संबंध में बैंक से की गयी ऐसी कोई मांग निर्णायक होगी। तथापि इस गारंटी के अंतर्गत हमारी देयता अधिकतम ....रुपये की राशि तक सीमित होगी।

3. हम इस संबंध में किसी न्यायालय अथवा अधिकरण के समक्ष लंबित किसी वाद अथवा कार्यवाही में ठेकेदार (रों) / आपूर्तिकर्ता (ओं) द्वारा उठाये गये किसी विवाद या किन्हीं विवादों के होते हुए भी इस प्रकार मांगी गयी राशि सरकार को अदा करने का वचन देते हैं - इस विलेख के अंतर्गत हमारी देयता पूर्ण और असंदिग्ध है।

इस बांड के अंतर्गत हमारे द्वारा इस प्रकार किया हुआ भुगतान उसके अंतर्गत भुगतान के लिए हमारी देयता का वैध निर्वहन होगा और ऐसा भुगतान करने के लिए उक्त ठेकेदार (रों)/आपूर्तिकर्ता(ओं) का हम पर कोई दावा नहीं होगा।

4. हम, ...(बैंक का नाम इंगित करें) आगे यह सहमति प्रदान करते हैं कि इसमें निहित गारंटी उक्त करार के निष्पादन के लिए ली जाने वाली अवधि के दौरान पूरी तरह मान्य और प्रभावी होगी और उक्त करार के अंतर्गत या उसके कारण जब तक सरकार की सभी देय-राशियों का पूरी तरह भुगतान नहीं हो जाते या उसके दावे पूरे या उन्मोचित नहीं हो जाते या जब तक ....कार्यालय / विभाग /मंत्रालय इस आशय का प्रमाणपत्र नहीं दे देता है कि उक्त ठेकेदार (रों) द्‌वारा उक्त करार की शर्तें पूर्णरूपेण और समुचित रूप से पूरी कर दी हैं और तदनुसार इस गारंटी को उन्मोचित किया जाता है, तब तक यह जारी रहेगी। ....को या इससे पूर्व इस गारंटी के अंतर्गत यदि कोई मांग या दावा हम पर नहीं किया जाता है, तो इसके बाद हम इस गारंटी के अंतर्गत सभी देयताओं से मुक्त हो जायेंगे।

5. हम, ...(बैंक के नाम का उल्लेख करें) सरकार के साथ आगे करार करते हैं कि सरकार को, हमारी सहमति के बिना और इसके अंतर्गत किसी भी तरह से हमारे दायित्वों को प्रभावित किये बिना, उक्त करार की किसी शर्त में परिवर्तन करने या समय समय पर उक्त ठेकेदार(रों) द्‌वारा कार्यनिष्पादन का समय बढ़ाने या सरकार द्‌वारा उक्त ठेकेदार (रों) के प्रति प्रयोग किये जानेवाले अधिकारों को किसी समय के लिए या समय समय पर स्थगित करने और उक्त करार से संबंधित किसी शर्त का प्रयोग न करने या लागू करने की पूरी छूट होगी और सरकार द्‌वारा ऐसे किसी परिवर्तन या उक्त ठेकेदार (रों) के लिए बढ़ायी गयी किसी समयावधि या सरकार की किसी प्रतिरति कार्य या विलोपन या उक्त ठेकेदार (रों) के प्रति सरकार के किसी अनुग्रह या किसी मामले या वस्तु आदि जिनके कारण जमानतों से संबंधित कानून के अंतर्गत, इस उपबंध के न होने की स्थिति में, हम दायित्व मुक्त हो जाते, के होते हुए भी हम अपने दायित्व से मुक्त नहीं होंगे।

6. बैंक या उक्त ठेकेदार (रों) /आपूर्तिकर्ता(ओं) के गठन में परिवर्तन के कारण यह गारंटी उन्मोचित नहीं होगी।

7. हम, ...(बैंक के नाम का उल्लेख करें) अंत में यह वचन देते हैं कि लिखित रूप में सरकार की पूर्व सहमति के सिवाय हम इस गारंटी को इसकी चालू अवधि में प्रतिसंहृत नहीं करेंगे।

8. ....(बैंक के नाम का उल्लेख करें) के वास्ते ....दिन।

`गारंटियों तथा सह-स्वीकृतियों' पर मास्टर परिपत्र में समेकित परिपत्रों की सूची

क्र. सं.	परिपत्र सं.	दिनांक	विषय
1.	बैंपविवि. बीपी. बीसी. सं. 107/21.04.048/2013-14	22.04.2014	भारतीय कंपनियों के विदेश में संयुक्त उद्यमों/पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों /पूर्ण स्वामित्व वाली स्टेप-डाउन सहायक कंपनियों को निधि/निधीतर आधारित ऋण सुविधाएं
2.	बैंपविवि. सं.बीपी. बीसी. 98/21.04.132/2013-14	26.02.2014	अर्थव्यवस्था में दबावग्रस्त आस्तियों को सशक्त करने के लिए ढांचा - परियोजना ऋणों को पुनर्वित्त प्रदान करना, एनपीए का विक्रय तथा अन्य विनियामक उपाय
3.	ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 83	03.01.2014	समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश - गारंटियों का रोलओवर
4.	ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 75	19.11.2013	भारत में आयात हेतु व्यापार ऋण(**Trade Credit**) - प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा गारंटी/वचन-पत्र **(LoU)** / चुकौती आश्वासन-पत्र (**LoC**) जारी करने के संबंध में डाटा का ऑनलाइन प्रस्तुतीकरण
5.	ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 41	10.09.2013	समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश - संशोधन
6.	ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 37	05.09.2013	प्रत्यक्ष विदेशी निवेश लेनदेनों के लिए भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति की ओर से बैंक गारंटी जारी करना
7.	ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 23	14.08.2013	समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश
8.	ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 20	29.08.2012	दो निवासी कंपनियों के बीच हुए समझौते के तहत गैर-निधि आधारित सुविधाओं के लिए अनिवासी गारंटी
9.	ए. पी. (डीआइआर सीरिज) परिपत्र सं 96	28.03.2012	विदेशों में प्रत्यक्ष निवेश - उदारीकरण/ यौक्तिकीकरण
10.	ए. पी. (डीआइआर सीरिज) परिपत्र सं. 69	27.05.2011	विदेशों में प्रत्यक्ष निवेश - उदारीकरण/ यौक्तिकीकरण
11.	मेल-बॉक्स स्पष्टीकरण	19.05.2011	वाणिज्यिक बैंकों द्वारा सहकारी बैंकों के ग्राहकों को बैंक गारंटी (बीजी)/साखपत्र (एलसी)जारी करना

12.	बैंपविवि. बीपी. बीसी. 96/ 08.12.014/2009-10	23.04.2010	इनफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र के लिए अग्रिमों पर विवेकपूर्ण मानदंड
13.	बैंपविवि. सं.डीआइआर. बीसी. 136/13.03.00/2008-09	29.05.09	बैंकों द्वारा गारंटियों का निर्गम
14.	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 127/21.04.009/2008-09	22.04.2009	गारंटी का विस्तार - दस वर्ष से अधिक अवधिपूर्णता
15.	मेल-बॉक्स स्पष्टीकरण	15.04.2009	स्व-नवीकरण खंड के साथ बैंक गारंटी
16.	मेल-बॉक्स स्पष्टीकरण	27.05.2008	बैंक गारंटी पर हस्ताक्षर करना
17.	बैंपविवि. सं.डीआइआर. बीसी. 72/13.03.00/2006-07	03.04.2007	निर्यात अग्रिम के लिए गारंटियां
18.	बैंपविवि. सं.डीआइआर. बीसी. 51/13.03.00/2006-07	09.01.2007	पण्य बाजारों में बैंकों का एक्सपोज़र-मार्जिन अपेक्षाएं
19.	ए. पी. (डीआइआर सीरिज) परिपत्र सं. 13	17.11.2006	सेवा आयातों की तरफ से बैंक गारंटी का निर्गम
20.	बैंपविवि. सं.डीआइआर. बीसी. 35/13.07.10/2006-07	11.10.2006	गारंटियां एवं सह-स्वीकृतियां
21.	ए. पी. (डीआइआर सीरिज) परिपत्र सं. 29	27.03.2006	विदेशों में निवेश - उदारीकरण
22.	फेमा अधिसूचना सं. 8/2000-आरबी	03.05.2000	विदेशी मुद्रा प्रबंधन (गारंटियां) विनियम, 2000
23.	ए. पी. (डीआइआर सीरिज) परिपत्र सं. 24	01.11.2004	भारत में आयात के लिए व्यापार ऋण - गारंटियां जारी करना - शक्तियों का प्रत्यायोजन
24.	ए. पी. (डीआइआर सीरिज) परिपत्र सं. 17	16.10.2004	विदेशी एअर लाइनों /आईएटीए के पक्ष में बैंक गारंटी का निर्गम
25.	एफईडी मास्टर परिपत्र सं. 8/2004-05	01.07.2004	मास्टर परिपत्र - वस्तुओं एवं सेवाओं का निर्यात
26.	एफईडी मास्टर परिपत्र सं. 7/2004-05	01.07.2004	मास्टर परिपत्र - वस्तुओं एवं सेवाओं का आयात
27.	बैंपविवि. बीपी. बीसी. सं. 97/ 21.04.141/2003-04	17.06.2004	वर्ष 2004-05 के लिए वार्षिक नीति वक्तव्य - गैर-जमानती एक्सपोज़रों पर विवेकपूर्ण दिशानिर्देश
28.	आइईसीडी. सं. 17/ 08.12.01/2002-03	05.04.2003	गारंटियां एवं सह-स्वीकृतियां
29.	बैंपविवि. बीपी. बीसी. 47/ 21.04.141/2002	13.12.2002	गैर-जमानती गारंटियों तथा अग्रिमों की सीमा
30.	बैंपविवि. बीपी. बीसी. 39/21.04.141/2002-03	06.11.02	गैर-जमानती गारंटियों तथा अग्रिमों की सीमा से समूह गारंटी के लिए स्वयं-सहायता समूह (एसएचजी) को स्वीकृत अग्रिमों से छूट

31.	बैंपविवि. बीपी. बीसी. 90/21.04.141/ 2001-02	18.04.02	गैर-जमानती अग्रिमों तथा गारंटियों से संबंधित मानदंडों से क्रेडिट कार्ड बकाया का अपवर्जन
32.	आइईसीडी सं. 16/ 08.12.01/ 2001-02	20.02.02	इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं का वित्तपोषण
33.	बैंपविवि. बीपी. बीसी. 119/ 21.04.137/2000-02	11.05.01	इक्विटी को बैंक का वित्तपोषण तथा शेयरों में निवेश - संशोधित दिशानिर्देश
34.	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 78/ 21.04.099/99	04.08.99	बैंक गारंटी
35.	आइईसीडी सं. 26/ 08.12.01/ 98-99	23.04.99	इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं का वित्तपोषण
36.	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 16/ 21.04.099/97	28.02.97	बैंक गारंटियों के अंतर्गत भुगतान - मामलों का त्वरित निपटान
37.	बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 90/13.07.05/98	28.08.98	शेयरों तथा डिबेंचरों पर बैंक वित्त - मास्टर परिपत्र
38.	आइईसीडी सं. 21/08.12.01/97	21.02.97	पॉवर फाइनांस कार्पोरेशन (पीएफसी) द्वारा संचालित बिल भुनाई योजना /पुनर्भुनाई योजनाएं
39.	आइईसीडी सं. 37/ 08.12.01/ 94-95	23.02.95	वित्तीय संस्थाओं के पक्ष में बैंक गारंटी का निर्गम
40.	आइईसीडी सं. 21/ 08.12.01/ 94-95	01.11.94	भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) द्वारा संचालित बिल भुनाई योजनाएं
41.	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 194/ 21.04.099/93	22.11.93	बैंक गारंटियों के अंतर्गत भुगतान - मामलों का त्वरित निपटान
42.	बैंपविवि. सं. बीसी. 185/ 21.04.009-93	21.10.93	बैंक गारंटी निर्णयों की सत्यापित प्रतिलिपियां प्राप्त करने में विलंब
43.	बैंपविवि. सं. बीसी. 20/ 17.04.001/92	25.08.92	बैंकों में धोखाधड़ियों तथा कदाचारों से संबंधित विभिन्न पहलुओं की जांच करने की समिति
44.	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 53/ सी. 473-91	27.11.91	बैंक गारंटियों के अंतर्गत भुगतान - मामलों का त्वरित निपटान
45.	बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 35/सी.96 (ज़ेड)-90	22.10.90	बैंक गारंटी योजना
46.	आइईसीडी. सं. पीएमडी. बीसी. 12/सी. 446 (सी एंड पी)- 90/91	21.09.90	वित्तीय संस्थाओं के पक्ष में गारंटियों की सह-स्वीकृति/निर्गम - क्रेता का ऋण योजना लाइन (बीएलसीएस)
47.	बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 11/सी. 96-89	09.08.89	बैंक गारंटी योजना
48.	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 124/सी. 473-89	31.05.89	बैंक गारंटियों के अंतर्गत भुगतान - मामलों का त्वरित निपटान

49.	बैंपविवि. सं. आइएनएफ. बीसी. 73/सी. 109(एच)-89	15.02.89	बैंक गारंटी योजना
50.	आइईसीडी. सं. पीएमएस. 207/ सी.446 (सी एंड पी)-87/88	29.06.88	सहायता संघ आधार पर अग्रिम - नए निवेश के संबंध में बैंकों तथा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं के बीच समन्वयन
51.	आइईसीडी. सं. एफईडी. 197/ 822-डब्ल्यूजीएम-एमओडी-88	30.01.88	परियोजना निर्यात - भारतीय संविदाकारों को ऋण सुविधाओं की मंजूरी
52.	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 71/सी.473-87	10.12.87	बैंक गारंटियों के अंतर्गत भुगतान - मामलों का त्वरित निपटान
53.	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 11/ सी.473-87	10.12.87	लागू की गई गारंटियों का भुगतान
54.	बैंपविवि. एसआइसी. बीसी. 5ए/ सी.739 (ए-1)-87	29.01.87	बैंकों द्वारा जारी साख पत्रों के अंतर्गत आहरित बिलों की सह-स्वीकृति
55.	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 130/ सी.473-86	15.11.86	बैंक गारंटी
56.	बैंपविवि. सं. आइएनएफ. बीसी. 45/सी.109 (एच)-86	09.04.86	बैंक गारंटी योजना
57.	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 28/ सी.469 (डब्ल्यू)-86	07.03.86	बैंक लिखत जारी करने के लिए सुरक्षाएं
58.	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 18/ सी.473-86	24.02.86	बैंक गारंटी
59.	आइईसीडी. सं. पीएमएस. 129/सी.446 (पीएल)-85	11.10.85	सीएएस-आईडीबीआई बिल पुनर्भुनाई योजना
60.	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 111/ सी.469 (डब्ल्यू)-85	02.09.85	बैंक लिखत, आदि जारी करने के लिए सुरक्षाएं
61.	बैंपविवि. सं. एलईजी. बीसी. 77 /सी. 235सी-85	05.07.85	बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 20
62.	बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 25/सी. 96-84	26.03.84	वाणिज्य बैंकों द्वारा अंतर कंपनी जमा/ऋणों की गारंटी
63.	आइईसीडी. सं. सीएडी.82/ सी.446 (एचएफ-पी)-84	02.02.84	राज्य आवास परिषदों तथा इसी प्रकार के निकायों को ऋण के संबंध में हुडको के पक्ष में बैंकों द्वारा प्रस्तुत गारंटी
64.	बैंपविवि. सं. जीसी. एसआइसी. बीसी. 97/ सी.408 (ए)-83	26.11.83	बैंकों द्वारा साख पत्रों को खोलना, गारंटी जारी करना तथा बिलों की सह-स्वीकृति
65.	बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 44/सी.96-83	30.05.83	वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अंतर कंपनी जमा/ऋणों की गारंटी

66.	बैंपविवि. सं. बीपी. 678/ सी. 473-83	11.01.83	बैंक गारंटी
67.	बैंपविवि. सं. सीएलजी. बीसी. 91/सी. 109 (एच)-82	30.09.82	बैंक गारंटी योजना
68.	आइसीडी. सं. सीएडी. 18/ सी. 446-82	10.02.82	बैंक गारंटी - सकारना
69.	बैंपविवि. सं. आइएनएफ. बीसी. 103/ सी.109-80	11.09.80	बैंक गारंटी योजना
70.	बैंपविवि. सं. सीएलजी. बीसी. 21/सी. 107 (एन)-78	08.02.80	बैंक गारंटी योजना
71.	बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 122/ सी.96-83	20.09.78	वाणिज्य बैंकों द्वारा अंतर कंपनी जमा/ऋणों की गारंटी
72.	बैंपविवि. सं. सीएलजी. बीसी. 1/सी. 109 -78	02.01.78	बैंक गारंटी योजना
73.	बैंपविवि. सं. ईसीसी. बीसी. 77/ सी. 297एल (1-ए)-77	07.06.77	भारतीय निर्यातकों की तरफ से विदेश स्थित नियोजकों/ आयातकों के पक्ष में भारतीय बैंकों द्वारा जारी बेशर्त गारंटी
74.	बैंपविवि. सं. ईसीसी. बीसी. 89/ सी.297एल (1-डी)-76	04.08.76	बोली बांड तथा कार्य-निष्पादन गारंटी
75.	बैंपविवि. सं. एफओआइ. बीसी. 9/ सी.249-76	20.01.76	अंतर-कंपनी जमाराशियों/ऋणों पर वाणिज्य बैंकों द्वारा बिलों/गारंटियों की सह-स्वीकृति
76.	बैंपविवि. सं. जीसीएस. बीसी. 25/सी. 107 (एन)-74	01.04.74	वाणिज्य बैंकों द्वारा अंतर कंपनी जमा/ऋणों की गारंटी
77.	बैंपविवि. सं. एससीएच. बीसी. 88/सी. 96 (एस)-72	10.10.72	भारतीय प्रत्यय गारंटी निगम लि.
78.	बैंपविवि. सं. बीएम. बीसी. 81/ सी.297 (पी)-72	14.09.72	बोली बांड तथा कार्य-निष्पादन गारंटी
79.	बैंपविवि. सं. एससीएच. बीसी. 68/सी. 109 - 72	31.07.72	बैंक गारंटी योजना
80.	बैंपविवि. सं. एससीएच. बीसी. 27/सी. 96 (एस) - 72	24.03.72	गैर-जमानती अग्रिमों/गारंटियों से संबंधित मानदंडों के प्रयोजन के लिए इनलैंड डी/ए बिलों के संबंध में छूट जारी रखना
81.	बैंपविवि. सं. एससीएच. बीसी. 1610/सी. 96 (एस) - 70	23.10.70	गैर-जमानती अग्रिम तथा गारंटियां
82.	एनएटी 2002/सी. 473 - 70	29.7.70	दिशानिर्देश जिनके अंतर्गत गारंटियों पर विचार किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है

83.	बैंपविवि. सं. एससीएच. बीसी. 1051/सी. 96 (एस) - 69	01.07.69	परेषण आधार पर निर्यातकों को दिए जाने वाले अग्रिम जिन्हें मानदंड के प्रयोजन से निकाला जाता है
84.	बैंपविवि. सं. एससीएच. बीसी. 1001/सी. 96 (ज़ेड) - 69	23.06.69	बैंक गारंटी
85.	बैंपविवि. सं. एससीएच. बीसी. 2381/सी. 96 (ज़ेड) - 68	14.08.68	बैंक गारंटी
86.	बैंपविवि. सं. एससीएच. बीसी. 2342/सी. 96 (एस) - 68	08.08.68	बही कर्ज पर अग्रिम
87.	बैंपविवि. सं. एससीएच. बीसी. 481/सी. 96 (एस) - 68	30.03.68	बेजमानती अग्रिम
88.	बैंपविवि. सं. एससीएच. बीसी. 421/सी. 96 (एस) - 68	19.03.68	बेजमानती अग्रिम - केंद्र/राज्य सरकारों को आहरित आपूर्ति बिलों पर अग्रिम
89.	बैंपविवि. सं. एससीएच. बीसी. 359/सी. 96 (एस) - 68	07.03.68	बेजमानती अग्रिम - 90 दिवसीय मीयाद वाले इनलैंड डी/ए बिल
90.	बैंपविवि. सं. एससीएच. बीसी. 68/सी. 96 (एस) - 68	12.01.68	बेजमानती अग्रिम - दिशानिर्देश
91.	बैंपविवि. सं. एससीएच. बीसी. 1850/सी. 96 (ज़ेड) - 67	07.12.67	बैंक गारंटियां
92.	बैंपविवि. सं. एससीएच. बीसी. 1794/सी. 96 (ज़ेड) - 67	29.11.67	बैंक गारंटियां
93.	बैंपविवि. सं. एससीएच. बीसी. 1693/सी. 96 (एस) - 67	08.11.67	शेयरों तथा बेजमानती अग्रिमों पर अग्रिम - दिशानिर्देश
94.	बैंपविवि. सं. एससीएच. बीसी. 1296/सी. 96 (ज़ेड) - 67	21.08.67	बैंक गारंटियां
95.	बैंपविवि. सं. एससीएच. बीसी. 1069/सी. 96 (ज़ेड) - 67	11.07.67	बैंकों का गारंटी व्यवसाय - दिशानिर्देश - स्पष्टीकरण
96.	बैंपविवि. सं. एससीएच. बीसी. 666/सी. 96 (ज़ेड) - 67	03.05.67	बैंकों द्वारा किए गए गारंटी व्यवसाय के लिए दिशानिर्देश तथा मानदंड